

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx III—[k.M 4

PART III—Section 4

izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 77] ubZ fnYyh] eaxyokj] ekpZ 10] 2015@iQkYxqu 19] 1936 No. 77] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2015/PHALGUNA 19, 1936 पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण

िविनयामक और िवकास िधकरण अधिनयम, 2013 (2013 का 23) क धारा 52 क उपधारा (2) के खंड (ड), खंड (ढ), खंड (ण), खंड (त) और खंड (ब) के साथ पठत उसक उपधारा(1) "ारा द# शि\$य% का योग करते (ए, िन*िलिखत िविनयम बनाता है, अथात् :- िधकरण (संकलनकता)))) िविनयम, 201 (2) ये राजप2 म उनके काशन क तारीख को वृ# ह%गे। ारंभ और आवेदन.—(1)इन िविनयम% का संि/0 नाम पशन िनिध िविनयामक और िवकास /139/4.—पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण, पशन िनिध नई दली, 10 माच, 2015अ याय ारंभिक अधिसूचना

को लागू ह%गे, जो क एक कम लागत का आशावान िवशेषक समूह का माडल है, जो समाजके असंगठत और आफथक ?प से अथ होगा जो =मश: उनका अधिनयम म है ।

अभेत है; करने के िलए अधिनयम क धारा 27 क उपधारा (3) के अधीन िधकरण "ारा रिज8 ग्रीकृत ऐसा मH यवतL अभेत है, िजसका कुछ सामाजक-आफथक व8तु:या सेवा; के िलए Nात Oाहक आधार के साथ कृज यकारी संबंध होगा । के अधीन कंपनी के लेखा; क संपरी/ा करने के िलए अफहत है ; 57) के अधीन भारत का नागरक होने के िलए अफहत है ; इकाई अभेत है; पदिभिहत और अधिनयम के ावधान% या उसके अधीन िधकरण "ारा बनाए गए िनयम% या िविनयम% या जारी क गई अधिसूचना; मागदशक िसरांत%, परप2% या अनुदेश%का उसके "ारा अनुपालन कया जाना िजसम अभिदाता; क िशकायत का िनवारण शामिल है, को मानीटर करने का उज तरदाया व साTपा गया है ; रखते (ए िधकरण "ारा समय-समय पर जारी कए गए मागदशक िसरांत और परप2 अभेत है ; असंगठत सेQ टर से, िजसक रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन् एक ऐसी संघटक है िजसम भारत सरकार का अभिदाय अनुNेय है, संबंधित P यिQ तय% के िलए रा@ ग्रीय पशन णाली के आशावान समूह माडल क एक िवशेषता का उपबंध कया गया है ; उज तरदायी है और इसके अंतगत िनV निलिखत भी हW—

(2) इन िविनयम% म यु\$ और परभिषत न कए गए क> तु अधिनयम म परभिषत शY द% और पद% का वही परभाषाएं.—

(1) इन िविनयम% म, जब तक संदभ से अ> यथा अपि/त न हो,— (क) “अधिनयम” से पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण अधिनयम, 2013 (2013 का 23) (ख) “संकलनकता” से राष् ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन के अधीन अभिदाता के अंतरानीक कृज य% को

(ग) “संपरी/क” से ऐसा P यिQ त अभेत है, जो कंपनी अधिनयम, 1956 (1956 का 1) क धारा 224 (घ) “भारत का नागरक” से ऐसा कोई P यिQ त अभेत है, जो नागरकता अधिनयम, 1955 (1955 का (ड.) “कंपनी” से कंपनी अधिनयम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रिज8 ग्रीकृत कोई (च) “अनुपालन अधिकारी” से संकलनकता से उज तरदायी ऐसा कोई P यिQ त अभेत है, िजसे उस ?प म

(छ) “िविनधान मागदशक िसरांत” से लागू िविनधान ितमान/तरीका और उसक सीमा; को H यान म (ज) “रा@ ग्रीय पशन णाली – लाइट” से रा@ ग्रीय पशन णाली के अधीन ऐसी 8 कम अभेत है िजसम

(झ) “धान अधिकारी” से ऐसा कोई P यि\$ अभेत है जो संकलनकता के =याकलाप% के िलए (i) कसी भागीदारी समुज थान क दशा म, कोई भागीदार ; (ii) कसी िनगिमत िनकाय क दशा म, पूणकिलक िनदेशक, कायपालक िनदेशक या बंध (iii) कोई मुख य कमचारी ; और (iv) संकलनकता "ारा धान अधिकारी के ?प म पदिभिहत कोई P यिQ त; (v) “अनुसूची” से इन िविनयम% के साथ उपाबर अनुसूची अभेत है । िनदेशक ;

माणप2 अनुद त कए जाने के िलए इन िविनयम% के अधीन िविनZद@ ट शतG को पूरा करने के अH यधीन, िनV निलिखत इकाइयां रा@ गीय पशन णाली के अधीन संकलनकता के ?प म सूचीबR कए जाने के िलए पा2 ह%गी :-

(2) उपविनयम (1) के खंड (क) और खंड (ग) म वFणत क[ीय और रा\ य सरकार% क इकाइय% के अितरQ त, संकलनकताक भूमिका अपनाने क वांछा करने वाली इकाइय% से िनV निलिखत कसी क[ीय या रा\ य अधिनयम के अधीन रिज8 ग्रीकृत कराया जाना अपि/त होगा, अथात् :-- (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ)

(क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ)

क[ीय और रा\ य सरकार% के अधीन Nात िहिताधिकारी समूह% के िलए पशन 8 कम% का बंध करने वाले नोडल कार्यालय या इकाइयां ; अनुसूचित बWक, ेतीयOामीणबWक और अ> य िवJ तीय सं8 थाएं ; भारतीय डाक; बीमा कंपिनयां ; सू म िवJ त सं8 थाएं (एमएफआई) ; गैर-बWककारी िवJ त कंपिनयां (एनबीएफसी) ; गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ; रा@ गीय -ई- शासन योजना के अधीन समान सेवा क[चलाने वाली इकाइयां ; आवास िवJ त सं8 थाएं ; कोई अ> य वग, जो िधिकार "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट कया जाए ।

सोसाइटी रिज8 ग्रीकरण अधिनयम, 1860 (1860 का 21) (जिसके अंतगत इस अधिनयम के रा\ यीय संशोधन भी सिV मिलतहW) ; भारतीय > यास अधिनयम, 1882 (1882 का 2) ; पूत और धाFमक > यास अधिनयम, 1920 (1920 का 14) ; कंपनी अधिनयम, 1956 (1956 का 1) (धारा 25, पूत अथवा अ> य कंपनी के रिज8 ग्रीकरण के िलए) ; कंपनी अधिनयम, 1956 (1956 का 1) [भारतीय रजव बWक से आव7 यक माणन सहित (गैर-बWककारी िवJ त कंपिनय% (एनबीएफसी), सू म िवJ त सं8 था; (एमएफआई) के िलए]; कंपनी अधिनयम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनयम, 2013, कसी अ> य कंपनी के िलए ; बWककारी िविनयमन अधिनयम, 1949 (1949 का 10) ; कसी अ> य िविनZद@ ट िहिताधिकारी समूह के िलए रा\ य या क[ीय सरकार "ारा सिृजत इकाइयां ; रा@ गीय आवास बWक "ारा िविनयिमत इकाइयां ; कोई अ> य अधिनयम या िनयम, जो िधिकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट कया जाए ।

करण माणप\$ अनुद& तकए जाने के िलए पा\$ता मानदंडसंकलनकता का रिज ीकरणअ याय 2

(3) ऐसी कोई अ> य इकाई या इकाइय% के समूह को, जो उपविनयम (2) के उपबंध% के अधीन नह_ आता है, रिज8 ग्रीकृत कया जा सकेगा, यद िधिकरण क राय यह है क ऐसी इकाई या इकाइय% का समूह, रा@ गीय पशन णाली-8 वावलंबन के अधीन अपने अभिदाता आधार को सिV मिलत कए जाने को सुकर बनाता है और िजसने अपने चालन /े2 म मिणत बेहतर रकाड के साथ /मता िसर क है । (4) ऐसी इकाई आवेदन क तारीख तक कम से कम पांच वष के िलए मिणत बेहतर रकाड सहित िवJ तीय सेवा; या िवJ तीय उJ पाद% के कारबार म रहा हो । इकाई िवJ त ?प से सुदढ़ हो और उसे आवेदन क तारीख से ठीक पूर्वतL पांच वषG म कम से कम गत तीन वषG म कोई हिन न (ई हो और उसे आवेदन क तारीख को ठीक पूर्वतL दो वषG म कोई नकद हिन न (ई हो । (5) इकाई का एक ?िपक शासन ढांचा (बोड, बंध सिमित या उसके समतु य तं2) होगा और बोड के सद8 य% के पास िवJ तीय /े2 या सामाजक िवकास म पयाb त अनुभव हो । बोड, बंध सिमित या उसके समतु य तं2 संबंधित अधिनयम%, िनयम% या िविनयम% के अधीन अंतFव@ ट उन उपबंध% का, जो उपविनयम (2) म उनके सामने यथावFणत ऐसी इकाइय% को लागू होते हW, पालन करेगा । (6) इकाई से यह अपि/त होगा क उसका उस अधिनयम के अधीन, िजसम वह काय कर रही है, बनाए गए िनयम% या िविनयम% के अधीन एक संपरी/ा सिमित या समतु य तं2 हो । (7) इकाई िनV निलिखत शुR मिलयत मानदंड को पूरा करेगी :-

(8) इकाई के पास अपने संगठन के िलए उपयुQ त बृहत् Oाहक डाटा आधार के बंध करने क तथा अ> य ौष्टीगक सि> नयम% को, जो िधिकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट कए जाएं, पूरा करने का सामh य होगा । (9) इकाई के पास िशि/त कमचारवृद होगा और ऐसा पयाb त सामh य होगा जो िधिकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट कया जाए । (10) इकाई के पास ऐसी नकद समुयन और ेषण सामh य होगा जो िधिकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट कया जाए । (11) िपछले पांच वषG के दौरान कसी भी िवJ तीय सेQ टर िविनयामक "ारा या > यायालय "ारा कोई भी दोषिसिर और अवरोध आदेश नह_ कए गए ह% । इस आधार पर और रिज8 ग्रीकरण के आवेदन से संबंधित कसी संदेह या िवरोध क दशा म िधिकरण का िविन7 चय आबरकर होगा । (12) इकाई अपने अंतFनिहत अभिदाता; के ित 8 कम का िव8 तार करने के िलए कारबार योजना उपलY ध कराएगी । (13) िधिकरण, यद वह ठीक समझे, उन इकाइय% क दशा म, जो पूणतः या भागतः क[ीय या कसी रा\ य सरकार "ारा िनयंित हW या िजनको क[ीय या रा\ य सरकार के कसी

विनिर्देशक टैवस्थाके अधीन सिजत कया गया है, या कसी अयमिणत बेहतर रकाड इकाई क दशा म, ऐसे मामले दर मामले के आधार पर, जो अभिदाता; के िहत म या देश म रा@ ग्रीय पशन णाली या पशन सेQ टर के िवकास के िलए आव7 यक समझा जाए, कुछ या संपूण पा2ता मानदंड% को िशिल कर सकेगा । (क) (ख) एक करोड़ ढपए, उनके िलए जो पांच वष से अधिक से कारबार म लगी ई हW ; उन इकाइय% के िलए, िजनका अपवादाJ मक बेहतर रकाड और दस वष से अधिक का अनुभव है, शुR मिलयत मानदंड को वांछित मामल% म जैसे िधकरण "ारा उचित समझे जाएं, पचास लाख ढपए तक िशिल कया जा सकता है ।

1Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5

माणप2 दए जाने के िलए इन िविनयम% म यथिविनिर्देशक टै पा2ता मानदंड% को पूरा करने वाला आवेदक िधकरण को इन िविनयम% क अनुसूची 1 म यथा विनिर्देशक टै प2क या अनुसूची 2 म यथा विनिर्देशक टै प2ख म अितदेय आवेदन फस के साथ आवेदन करेगा । (2) ऐसे आवेदन को, जो सभी कार से पूण न हो या इन िविनयम% क अनुसूची 1 म, यथिविनिर्देशक टै प2क अथवा अनुसूची 2 म, यथिविनिर्देशक टै प2ख म विनिर्देशक टै अनुदेश% के अनु?प न हो, नामंजूर कया जा सकता है : परंतु ऐसे कसी आवेदन को नामंजूर करने के पूव आवेदक को सभी कार से भरने और गलितय% को, यद कोई ह%, दूर करने का यिु तयुQ त अवसर दान कया जाएगा । (3) ऐसा कोई संकलनकता, िजसे अधिनयम के अधीन िधकरण क 8 थापना के ठीक पूव अंतरम पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण "ारा उस ?प म कृJय करने क अनुNा दान क गई थी, इन िविनयम% के अधिसूचित कए जाने से नY बे दन क अविध तक या यद वह इन िविनयम% को अधिसूचित कए जाने के नY बे दन के भीतर रिज8 ग्रीकरण दए जाने का आवेदन करता है तो िधकरण "ारा उसको आवेदन का िनपटारा कए जाने तक, उस ?प म कृJ य करना जारी रख सकेगा । अितदेय फस का संदाय करेगा । आवेदन फस िधकरण को अनुसूची 3 म विनिर्देशक टै रीत म संदJ त क जाएगी । िधकरण लेखबर कए जाने वाले कारण% से िविनिर्देशक टै और यथीचित मामल% म आवेदन फस के संदाय क अपे/ा का अधJ यजन कर सकेगा । वेबसाइट पर ऐसी सूचना डालकर जनसाधारण को कट करने का अधिकार होगा : परंतु आवेदक "ारा दी गई अ> य सुसंगत सूचना और जो आवेदक क विणि यक िव7 वसनीयता और िनजी सूचना से, िजसे वह गोपनीय बताए, संबंधित है, िधकरण "ारा, कसी िविध या िनयम% या िविनयम% के उपबंध% के या, यथास्थित, कसी > यायालय या अधकरण "ारा उािषत कसी आदेश या िविन7 चय के, जो ऐसे कटन को आNापक बनाता हो, अधीन रहते (ए कट नह_ क जा सकेगी । (2) इन िविनयम% के अधीन दी गई या वेबसाइट पर डाली गई सूचना म कसी भी तिJ Jवक परवतन क सूचना आवेदक "ारा तुरंत, mकतु ऐसे परवतन के होने के प> [ह दन के अप7 चात्, दी जाएगी । िनपटारे के योजन के िलए और तJ प7 चात्, ऐसे कसी अ> य िवषय के बारे म, जो िधकरण "ारा आव7 यक समझा जाए, कोई अितरQ त सूचना या 8 प@ टीकरण देने क अपे/ा कर सकेगा । आवेदक या उसका धान अधिकारी, यद ऐसी अपे/ा क जाए, आवेदन के संबंध म कसी P यिु तगत अn यावेदन के िलए िधकरण के सम/ उपि8 थत होगा । (2) आवेदक ऐसी सूचना और 8 प@ टीकरण, िधकरण के समाधानद ?प म िधकरण "ारा इस बारे म विनिर्देशक टै समय के भीतर देगा । (3) आवेदक "ारा 8 तुत कए गए आवेदन, दी गई सूचना और उसक पा2ता पर िवचार करते समय, िधकरण, यद वह ऐसी वांछा करे, द8 तावेज% और कायालय 8 थल का भौतक सJयापन कराकर सूचना को सJ यिापत कर सकेगा और कायालय 8 थल क उपलY धता का िनरीण कर सकेगा । (4) उपिविनयम (3) के अधीन, के योजन के िलए, िधकरण संपरी/क सहित कसी भी jि\$को िनयुQ त कर सकेगा । माणप2 दए जाने पर िवचार करते (ए, उन सभी िवषय% को H यान म रखेगा, जो वह पशन सेQ टर और रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन् से सुसंगत समझे, िजसके अंतगत िनV निलिखत हW, mकतु जो िनV निलिखत तक सीमत नह_ हW,-- आवेदन फ*स -आवेदक, आवेदन पर कारवाई करने के िलए आवेदन तथा शासिनक फस के म6 दस हजार ढपए क

सूचना का कटन—(1) िधकरण को आवेदक "ारा कए गए ऐसे आवेदन पर, िधकरण "ारा यथिविनिर्देशक टै करण के िलए आवेदन.—(1) इन िविनयम% के ारंभ क तारीख से ही, संकलनकता के ?प म रिज8 ग्रीकरण

पन—(1) िधकरण, आवेदक से रिज8 ग्रीकरण माणप2 दए जाने संबंधी आवेदन के

कन—(1) िधकरण, आवेदक क पा2ता तथा ऐसे आवेदक को

यद िधकरण, इस उपिविनयम के अधीन आवेदन पर िवचार करते समय उचित समझे, िधकरण "ारा अवधारत तारीख, समय और 8 थान म 8 त्रुतिकरण करने के िलए आवेदक को आमंित कर सकेगा । ऐसे 8 त्रुतिकरण का योजन आवेदक%

को, अधिकरण को अपने 8 ताव और अपने 8 ताव% क मुख सा व% को 8 तुत करने के लिए अनुनात करने का है । (2) रिज8 ग्रीकरण माणप2 अनुद त करने के ऐसे कसी भी आवेदन को,--

अधिकरण "ारा लेखबर कए जाने वाले कारण% से उसके "ारा नामंजूर कर दया जाएगा । (3) आवेदन नामंजूर कए जाने के पूर्व, आवेदक को उन किमय% को, जिह दूर कया जा सकता है, तज योजनाथ अधिकरण "ारा विनद@ ट समय के भीतर दूर करने के लिए लिखत म अवसर दया जाएगा : परंतु जहां आवेदन इस कारण से नामंजूर कया जाता है क इसम मिह या या ामक जानकारी अंतव@ ट है, वहां ऐसा अवसर दान नह कया जा सकेगा और आवेदक इन विनयम% के अधीन या कह अ य विनयम% के अधीन रिज8 ग्रीकरण माणप2 अनुद त कए जाने के लिए ऐसी नामंजूरी क तारीख से एक वष क अविध तक कोई आवेदन नह करेगा । (4) ऐसे आवेदक के संबंध म, जो आरंभिक मू यांकन के प7 चात् सभी पा2ता शतG को पूरा करता है, अधिकरण आवेदक के कायालय म ऐसी तारीख को और समय पर, जो अधिकरण "ारा अवधारत कया जाए, सव यक् तज परता बरतेगा । (5) अधिकरण, उपविनयम (4) के योजनाथ, ऐसी सव यक् तज परता बरतने के लिए, कसी प यिQ त को नियुQ त कर सकेगा जो उसके अधिकारय% तक सीमित नह होगी, । (6) इस विनयम के अधीन रिज8 ग्रीकरण माणप2 अनुद त करने संबंधी आवेदन का, जो सभी कार से पूण हो, अधिकरण "ारा सामा यता ऐसा अनुरोध ाह त होने क तारीख से साठ दन क अविध के भीतर, निपटारा कया जाएगा । अनुसूची 4 म विनद@ ट ?प म रिज8 ग्रीकरण माणप2 अनुद त करेगा और इस बारे म आवेदक को सूचना भेजेगा : परंतु यह तब जबक आवेदक ने रिज8 ग्रीकरण माणप2 अनुद त कए जाने के पूर्व एक बारगी प् चीस हजार dपए क फस का संदाय कर दया हो । अधिकरण लेखबर कए जाने वाले कारण% से विनद@ ट और उपयुQ त मामल% म रिज8 ग्रीकरण फस का संदाय करने क अपे/ा का अधि यजन कर सकेगा । इसके अतिरQ त, जहां अधिकरणया कसी > यायालय या अधिकरण म कोई कायवाही लंबित है जिसके परणाम8 व?प रिज8 ग्रीकरण माणप2 निलंबित या र6 कया जा सकता है, वहां अधिकरण सशत रिज8 ग्रीकरण अनुद# कर सकेगा । (2) अधिनयम, नियम% और विनयम% के उपबंध% का अनुपालन कए जाने के अह यधीन कसी संकलनकता को अनुद तरिज8 ग्रीकरण माणप2 जब तक अधिकरण "ारा निलंबित या र6 न कर दया जाए तब तक विधमा य बना रहेगा । (क) Q या आवेदक के विदR, पिछले पांच वषG म अधिनयम%, नियम%, कसी विनयामक या अ य अधिकरण के (ख) Q या आवेदक इन विनयम% म विनद@ ट पा2ता के मानदंड% और अ य अपे/ा; को पूरा करता है ; (ग) Q या आवेदक को माणप2 का दया जाना अभिदाता; के हित म है ।

(क) जो सभी कार से पूण नह है और अपे/ा; तथा इस विनयम% म विनद@ ट सुसंगत अपे/ा; के अनु?प (ख) जिसम अधिकरण "ारा यथा अपि/त अतिरQ त जानकारी नह है ; या (ग) जो अशुR, मिह या या ामक कृत का है ; (घ) जहां आवेदक ने इन विनयम% के अधीन विनद@ ट पा2ता क अपे/ा; का अनुपालन नह कया है ; (ङ) जो अधिकरण क राय म अभिदाता; के हित म नह है या पशन सेQ टर तथा रा@ ग्रीय पशन णाली के =मिक (च) जहां आवेदक इन विनयम% क अनुसूची 1 म यथाविनद@ ट ?प क या अनुसूची 2 म यथाविनद@ ट ?प विनयम% और उपविधय% के अधीन, जो उसे लागू हो, जांच क कही मुख कायवाहयां क गई है या उसका अ वेषण कया गया है ;

नह है ;

विकास के उ67 यपरक हित म नह है ; ख म यथाकिथत 'योप य और समिचत प यिQ त' नह है,

का अनुद1 'कया जाना—(1) अधिकरण, इस बात का कसंति होने पर क आवेदक पा2 है,

'Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7

कोई रिज8 ग्रीकरण माणप2 निव निलिखत शतG के अह यधीन होगा, अथात् :--

(2) संकलनकता, रिज8 ग्रीकरण क तारीख से या अधिकरण "ारा अंतिम बार 8 वीकृत नवीकरण फस के संदाय क तारीख से पांच वष के अवसान के पूर्व नय बे दन के भीतर, प् चीस हजार dपए क नवीकरण फस सहित विनद@ ट ?प म आवेदन करेगा । अधिकरण, लेखबर कए जाने वाले कारण% से, विनद@ ट अविध के प7 चात् भी नवीकरण फस का संदाय कए जाने क अनुना, तिमाहएक हजार dपए क अतिरQ त फस का संदाय करने के अह यधीन, दे सकेगा । तथापि, विनद@ ट तारीख से नय बे दन के प7 चात् नवीकरण फस का संदाय करने लिए समय बढ़ाए जाने संबंधी कोई आवेदन ठहण नह कया जाएगा : करने क अपे/ा का अधि यजन कर सकेगा । (3) संकलनकता "ारा नवीकरण फस का संदाय करने के लिए फाइल कया जाने वाला आवेदन अनुसूची 5, प2ग मिविनद@ ट ?प म होगा।प7 चात्, विनयम 4 के उपविनयम (3) के

अधीन िनZद@ ट कोई संकलनकता रिज8 ग्रीकरण अभिभा त करने म असफल रहा है या कोई िवुमान संकलनकता इन िविनयम% के अधीन माणप2 का नवीकरण (अनुNा) अभिभा त करने म असफल रहा है या उसे वह अनुदJ त करने से इंकार किया गया है या उसने अपना माणप2 या अनुNा अ यFपत कर दी है या > यायालय के कसी आदेश "ारा उसे परसमापन करने का िनदेश दिया गया है, वहां ऐसा संकलनकता- (क) जहां मH यवतL अपनी ि8 थित या गठन म परवतन करने का 8 ताव करता है, वहां वह अपनी ि8 थित या (ख) वह सुसंगत िविनयम% के अनुसार लागू फस% का संदाय करेगा ; (ग) वह ऐसी रकम का, जो उसक बाH यता; के िनवहन के िलए िविनZद@ ट क जाए, ितिभूत िन/ेप िधकरण (घ) वह अधिनयम%, िनयम%, िविनयम% के उपबंध%, ऐसे िनदेश%, मागदशक िसरंत% और परप2% को, जो (ड.) वह ऐसी सभी शतG और अपे/ा; से, जो भारत सरकार "ारा रा@ ग्रीय पशन णाली – स् वावलंबन 8 कम के (च) वह इन िविनयम% म िविनZद@ ट पा2ता मानदंड% और अ> य अपे/ा; को पूरा करेगा ; (छ) वह अपनी बाH यता; के भावी िनवहन के िलए रा@ ग्रीय पशन णाली के अधीन अ> यमH यवFतय% के साथ या परंतु िधकरण या भारत सरकार ऐसी अ> य और अितरQ त शतs अधिशिपत कर सकेगी, जो वह अभिदाता; के िहत म तथा रा@ ग्रीय पशन णाली के िमिक िविकास के िलए ठीक समझे ।

परंतु िधकरण लेखबर कए जाने वाले कारण% से िविनZद@ ट और उपयुQ त मामल% म नवीकरण फस का संदाय

(क) ऐसे संकलनकता के ?प म काय करने से तुरंत िवरत हो जाएगा ; (ख) अपने ियाकलाप ऐसे कसी अ> य संकलनकता को अंतरत करेगा िजसे संकलनकता के ?प म काय करने के (ग) संकलनकता "ारा उपगत या गृहीत दियाJ व, यद कोई हो, के बारे म उपबंध करेगा ;

िजनके अधीन रिज ीकरण माणप\$ अनुद& तगठन म ऐसे परवतन के प7 चात् संकलनकता के ?प म कायकरना जारी रखने के िलए िधकरण का पूव अनुमोदन अभिभा त करेगा ;

के पास रखेगा ; िधकरण "ारा समय-समय पर जारी कए जाएं, से आबरकर होगा ; चालन के संबंध म िविनZद@ ट क जाए, आबरकर होगा ;

कसी अ> य P यिQ त के साथ ऐसे करार% का, जो आव7 यक समझे जाएं, िन@ पादन करेगा :

िलए माणप2 अनुदJ त किया गया है और अभिदाता; को िधकरण "ारा यथा िनिदिशत अ> य संकलनकता के पास जाने को अनुNात करेगा;

र 'कए जाने का भाव.— (1) जहां इन िविनयम% के ारंभ पर और उसके

कए जाने से इंकार करते समय, संकलनकता के अभिदाता; के िहत क संर/ा के िलए उस इकाई पर ऐसी शतs अधिशिपत कर सकेगा जो वह ठीक समझे और उन शतG का पालन किया जाएगा ।12. अपनी शुR मिलयत का एक ितशतया पांच लाख tपए, इनम से जो भी अधिक हो, के बराबर ितिभूत िन/ेप 8 तुत कए जाने क अपे/ा क जाएगी । अधिकतम ितिभूत िन/ेप बीस लाख tपए से अधिक का नह_ होगा। ितिभूत िन/ेप कसी अनुसूचित विणि\ यक बWक से मांगदेय tाुट, बWक J याभूत के ?प म या कसी अ> य ?प म होगा जो िधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट किया जाए । (2) कोई भी संकलनकता, जब तक अभिदाता रिज8 ग्रीकरण क िया ारंभ नह_ करेगा जबतक क वह उप-विनयम (1) म िनZद@ ट ितिभूत िन/ेप िधकरण के पास जमा नह_ करा देता है । (3) यद िधकरण क थमद@ टया यह राय है क संकलनकता रिज8 ग्रीकरण माणप2 क शतG के अधीन अपनी बाH यता; का पालन या अनुपालन करने म असमथ है या उसने अधिनयम, िनयम% या िविनयम% के क> ह_ उपबंध% का अितमण किया है, तो िधकरण ऐसे संकलनकता के िवदR कोई जांच या अ> वेषण के लंबित रहने तक अंतरम उपाय के ?प म ितिभूत िन/ेप को जY त करने का िनदेश दे सकेगा। ितिभूत िन/ेप के आगम% काउपयोग उQ त संकलनकता के अभिदाता; के िहत क संर/ाके िलए ऐसी रीत म, जो िधकरण "ारा उचित समझी जाए, करने के िलए किया जा सकेगा । ऐसा कसी अ> य ऐसी कारवाई के अितरQ त होगा जो िधकरण "ारा अधिनयम, िनयम% और िविनयम% के उपबंध% के अधीन संकलनकता के िवदR क जा सकेगी ।(4) जहां ितिभूत िन/ेप को उप-विनयम (3) के अधीन उपबंधित ?प म जYत किया गया है वहां िधकरण संकलनकता से अितरQ त ितिभूत िन/ेप देने का िनदेश दे सकेगा और संकलनकता उसे अपनी बाH यता; के सV यक् पालन के िलए देगा । से कोई रिश संगृहीत करने के िलए िधकृत नह_ किया जाएगा । (2) संकलनकता कारबार के J येक संपूरत वष के प7 चात् या ऐसे अंतराल पर, जो िधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट किया जाए, एक िनयत रिश ाब त करेगा और उसका िविन7 चय िधकरण "ारा अनुमोदत “अभिदाता अजन और ितिधारण माडल” पर किया जाएगा ।(3) पारविमिक ऐसे J

येक P यि@ टक अभिदाता पर आधारत होगा जो वष केदौरान 8 कम के अधीन 8 वावलंबन् सह-अभिदाय ाb त करने के िलए पा2 हो जाता है । 8 वावलंबन् 8 कम के अधीन पा2ता-शत का िविन7 चय भारत सरकार "ारा समय-समय पर कया जाएगा । (4) िधकरण "ारा पारव्िमिक का संदाय J येक संकलनकता को उनके "ारा 8 तुत और िधकरण "ारा सJ यिपत कए जाने वाले दावे के आधार पर कया जाएगा । दावा 8 तुत कए जाने, उसके सJ यापन और प7 चाJवतL संदाय क =या ऐसी होगी जो िधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट क जाए । (2)इन िविनयम% के अधीन कसी िवृमान संकलनकता को रिज8 ग्रीकरण माणप2 अनुदJ त करने या उसका नवीकरण (घ) ऐसी अ> य कारवाई ऐसी समय-सीमा के भीतर और ऐसी रीत म करेगा, जो सुसंगत िविनयम% के अधीन

(क)रा@ ग्रीय पशन णाली का तथा अपने संघटक समूह सद8 य% के बीच वृRाव8था आय सुर/ा क आव7 यकता के अपित हो या जैसा िधकरण "ारा िनदेश दया जाए ।

बारे म जाग?कता का संवधन ;

माडल.-(1) संकलनकता को अपनी 8 वयं क फस या अपने सेवा भार% के मठे अभिदाता

संकलनकता के कतव् य और उ& त(1) संकलनकता के िनV निलिखत कतP य ह%गे, अथात् :-- अ याय

ना.-(1) संकलनकताके ?प म रिज8 ग्रीकृत J येक इकाई से

'Hkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9

(2) उपविनयम (1) के उपबंध% पर ितकूल भाव डाले िबना, संकलनकता "ारा िनV निलिखत िनिध संOहण कृJ य% का पालन कया जाएगा, अथात् :-- (ख)रा@ ग्रीय पशन 8कम के अधीन भावी अभिदाता; के संबंध म 'अपने Oाहक को जानो' क अपे/ा का (ग)रा@ ग्रीय पशन णाली-8 वावलंबन् अभिदाता; क दशा म 'अपने Oाहक को जानो' क अपे/ाएं वे ह%गी जो (घ)िनिध का अंतरण और डाटा अपलोड ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो समय-समय पर िविहत क जाए, कए (ङ)अभिदाता; से अभिदाय% का संOहण और उसका > यासी बWकको ेषण सिनि7 चत कया जाना; (च)िनिध के संOहण के समय अभिदाता को रसीद जारीकरना और उसका समिचत सम>वयन; (छ)अपने अंतःनिहत अभिदाता; को सेवा; क उपलY धता सिनि7 चत करना जैसा क रा@ ग्रीय पशन णाली के (ज)पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण (अभिदाता क िशकायत िनवारण) िविनयम, 2015 के (झ)8 थायी सेविनवृि त खाता संX यांक काड और संप यवहार-निव रण अथवा कसी अ> य द8 तावेज का ऐसी समय-(ज)कोई अ> य उJ तरदाया व जो िधकरण "ारा अभिदाता; के िहत क संर/ा सिनि7 चत करने के िलए (ट)अपने अभिदाता; को रा@ ग्रीय पशन णाली-8 वावलंबन् पर अुतन सूचना उपलY ध कराने के िलए आव7 यक

(क) (ख)

(ग) (घ) (ङ)

अनुपालन; िधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट क जाएं; जाने के उJ तरदाया व% का िनवहन;

अधीन आNापक बनाया गया है; उपबंध% के अनुसार अभिदाता; से ाb त िशकायत% का संचालन और उनका समाधान; सीमा के अंतगत, जो िधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट क जाए, अभिदाता; को ेषण; संकलनकता को सTपा जाए; आधार पर अपनी वेबसाइट को अुतन बनाना ।

संकलनकता "ारा यह सिनि7 चत कया जाना क उसके अंतःनिहत अभिदाता; के िलए िव7 वसनीय संOहण अवसंरचना उपलY ध हो ; J येक संकलनकता "रा@ ग्रीय पशन णाली-संकलनकता का नाम-संOहण खाता-रा@ ग्रीय पशन णाली > यास" के नाम म एक संOहण खाता खोलेगा जिजसके िलए संबंधित संकलनकता को रा@ ग्रीय पशन णाली > यास से आव7 यक अनुमोदन और द8 तावेज अभिा त करने ह%गे । ऐसे खाते के चालन के ढंग और पRित के संबंध म मागदशक िसरांत िधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट कए जाएंगे ; "रा@ ग्रीय पशन णाली संOहण क[% "ारा संगृहीत रकम िनयिमत ?प से िधकरण "ारा िविनZद@ टसमयानुसार संकलनकता के अभिहत खाते म अंतरत क जाएगी ; संकलनकता का िनगरानी कार्यालय और उसका अनुपालन अधिकारी संपूण िनिध संOहण =या पर आव7 यक सतकता और सV यक् तJ परता सिनि7 चत करेगा और उसके िलए उJ तरदायी रहेगा ; नकदी संOहण और अंतरण.=या मई सभी चूक%

से अभिदाता; को होने वाली हानि का संकलनकता "ारा सवधम भरपाई क जाएगी और उसम असफल रहने पर उस हानि का भरपाई संबंधित संकलनकता के तित्थित नि/पे या उसे देय पारविक, यद कोई हो, से क जाएगी ।

(3) ज येक संकलनकता ऐसी सभी चालन% और अ य अपे/ा, जो समय-समय पर विनिर्द@ ट क जाएं, के संबंध म रा@ ग्रीय पशन णाली >यास से करार करेगा और रा@ ग्रीय पशन णाली > यास को नियमित अंतराल% पर अनुपालन संबंधी माणप2 8 तुत करेगा । निव निलिखत विनिधान विवक प उपलY ध ह%गे :--

णाली-8 वावलंबन के चालन के लिए एक दूसरे अनुमोदित संकलनकता क सेवाएं "सुविधा दाता" के प म ले सकता है । (2) सुविधा-दाता विज तीय सेवा या विज तीय उज पाद सेQ टर म लगा कोई संगठन या इकाई हो सकता है और वह भारत म कसी विज तीय सेQ टर विनियामक के पास रिज8 ग्रीकृत होगा । क्रीय और रा य सरकार% के अधीन नात हितिधकारी समूह% के लिए कितपय 8 कम चलाने वाले नोडल कार्यालय% या इकाइय%को भी सुविधा दाता के प म काम पर लगाया जा सकता है । (3) कसी जि\$को सुविधा दाता के प म रिज8 ग्रीकृत नह कया जाएगा, जिसवाय कारबार सह-संबंधी, जिनको बवक अपने विवेकानुसार सुविधा-दाता के प म काम पर लगा सकते हव ।(4) संकलनकता और सुविधा-दाता के बीच उनके कृ य%, उज तरदाय व और रा@ ग्रीय पशन णाली-8वावलंबन से उवभूत पार8 परक दिया व% क परिध को विनिर्द@ ट करने के लिए काम पर लगाने के निबंधन% और शतG का विनि7 चय औपचारिकसमझौता-नापन अथवा संविदा के माह यम से कया जाएगा । ऐसा संकलनकता, जो सुविधा-दाता को काम पर लगाता है, सुविधा-दाता "ारा णाली और चालन 8 तरीय अनुशासन सिनि7 चत करने के लिए उज तरदायी बना रहेगा। (5) संकलनकता सुविधा दाता "ारा कए गए सभी कायG या लोप% के लिए उज तरदायी होगा । 17. अनुपालन अधिकारी क नियुQ त करेगा, जो अधिनयम, नियम% और विनियम% के उपबंध%, िधकरण "ारा जारी क गई अधिसूचना, मागदशक सिसरांत%, अनुदेश% का संकलनकता "ारा पालन कए जाने को मानीटर करने के लिए उज तरदायी होगा । (से रपोट करेगा ।18. जाएगी,- 2) (क) िधकरण, अपने विवेकानुसार और अभिदाता; के हित म विनिधान के लिए आ8 त-वगG का एक पूर्व-निधारत समूह विनिर्द@ ट करेगा ; (ख) अभिदाता को संकलनकता के माह यम से मिस्त विनिधान और पशन निधि चुनने का विवक प ाब त होगा ; (ग) पशन निधि म परवतन करने का विवक प एक नि7 चत कालाविध पर और िधकरण "ारा विनिर्द@ ट क जाने वाली रीत म उपलY ध होगा ।

अनुपालन अधिकारी क* नियु< त.- (1) ज येक संकलनकता अपने बंधन 8 तर के ये@ ठ अधिकारय% म से एक

अनुपालन अधिकारी, ऐसे कसी अननुपालन क, जो उसके देखने म आई है, िधकरण को तज काल और नि@ प/ प बिहय> और अभिलेख> को बनाए रखना.- (1) ज येक संकलनकता "ारा निव निलिखत लेखा बिहयां बनाए रखी (क) (ख) (ग) धा दाता को काम पर लगाना.- (1) संकलनकता, अपने विवेकानुसार, ल यत समूह के लिए रा@ ग्रीय पशन

रिज8 ग्रीकरण के लिए ाब त रिज8ग्रीकरण आवेदन% को क्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को भेजना तथा ऐसे सभी आवेदक% के लिए जिन2 8 थायी निवृज त खाता संX यांक डाटा के Y यौरे ; अभिदाता; से - नकद प से/मांगदेय तालुट, चैक "ारा या ेषण के कसी िधकृत प म- ाब तधनराश के Y यौरे ; दन तितदन आधार पर धारत नकदी के Y यौरे ; वलंबन के अधीन विनिधान विवक0 प.-रा@ ग्रीय पशन णाली-8 वावलंबन के अधीन

1Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11

वष के लिए लेखा; के बंद कए जाने के तीस दन के भीतर, िधकरण को यह माणत करते (ए उपलY ध कराएगा,-

णाली- 8 वावलंबन अभिदाता; के कायG के बंधनम हित% के पर8 पर विरोध का परवजन करेगा और सभी अभिदाता; के हित% को सभी मामल% म सवxपर रखेगा । अभिदाता और संकलनकता तथा उसके तित्थि के बीच के हित% के बीच पर8 पर विरोध होने क दशा म अभिदाता के हित% को अOता दी जाएगी ।(2) अभिदाता को रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन पर ऐसे उचित कटन तं2 के माह यम से, जो िधकरण "ारा समय-समय पर विहित कया जाए, ऐसी अतप जानकारी, जिससे क अभिदाता अभिनात विनि7 चय करने म समथ हो सके, उपलY ध कराई जाएगी । ऐसे कटन क शतs- ऐसा कटनऐसे प म, ऐसी कालाविध म और ऐसी रीत म कया जाएगा, जो िधकरण "ारा समय-समय पर विनिर्द@ ट क जाए । संकलनकता यह सिनि7 चत करेगा क क> ह सहयुQ त%, सुविधा-दाता; या क> ह इकाइय% को ऐसी कसी रीत म, जो अभिदाता; के हित% के तिकूल हो, कोई असV यक् या अनिचत लाभ नह दया है ।(3) संकलनकता अपने सभी P यौहार% के और अपने कारबार के संचालन म सज यिन@ ठा और ऋजुता के उ च मानक बनाए रखेगा । वह सभी समय% पर

सेवा के उर च मानक बनाए रखेगा, ऐसी सव यक् तज परता बरतेगा िजसम कायकौशल और देखरेख के ऐसे मानक िववि/त ह% जो शुR िवपणन पारित, सज्ाव, Oाहक क ?परेखा (ोफाइल), अभिदाता क संकलनकता पर िनभरता क सीमा के अनु?प हो और वह 8 वतं2 वृज तक िववेक ब्रुR का योग करेगा ।(4) संकलनकता कसी ऐसे अनुचित आचरण म अथात् ऐसे कसी काय या लोप म िलब त होने से ितिषR है जो कसी अभिदाता के कसी Nात संप यवहारक िविन7 चय को कम करने के सामह य को पयाब त ?प से कम करता है या िजससे उसके पयाब त ?प से कम होने क संभावना है और इसके अंतगत ऐसा आचरण भी है जो अभिदाता; के साथ P यवहार करते समय िनV निलिखत काय करने म ामक या अपमानजनक है— आचार संहिता.-संकलनकताविनZदq आचार संहिता का सतत् आधार पर पालन करेगा। संकलनकता रा@ गीय पशन (घ) (ङ) (च) (छ)

(ज)

(क) इन िविनयम% और इन सुसंगत िविनयम% के अधीन क प2क और प2ख म तथा सुसंगत िविनयम% के अधीन कए गए सभी कटन सज य और पूण हW, सतत् आधार पर अपनी बाह यता; उज तरदियज व% के अनुपालन और पा2ता संबंधी मानदंड% को पूरा किया जाना ; (ख) ज येक संकलनकता माणप2 क ित अपने सभी रिज8 ग्रीकृत कायालय% म मुखतया संदFशत करेगा ; (ग) संकलनकता उस अनुपालन अधिकारी का, िजसको कसी अभिदाता िशकायत क दशा म िशकायत क जा सकेगी, नाम और संपक के Y यौरे भी मुखतया संदFशत करेगा ।

(क) अभिदाता को गलत सूचना या िनणायक कारक के संबंध म ऐसी सूचना उपलY ध कराना, िजसके बारे मसंकलनकता का यह िव7 वास नह है क वह सही है ; या

> यासी बWक को िषत धनरिश के अभिदातावार Y यौरे ; क[ीय अभिलेखापाल अभिकरण को भेजे गए अनुदेश% का अभिदातावार Y यौरा ; उन िशकायत% के Y यौरे, जो ाब त (ई हW और िजनका िनवारण किया गया है ; अभिदाता सेवा अनुरोध% के, जैसे क अभिदाता अनुरोध का उपांतरण अथवा अहृतन किया जाना अथात् नाम परवतन का अनुरोध, अभिदाता के दावा संबंधी आवेदन और उनका काीय अभिलेखापाल अभिकरण को आगे ेषण किया जाना ; कोई अ> य Y यौरे, जो िधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट कए जाएं ।ता.-संकलनकता अपने अनुपालन अधिकारी "ारा ह8 ता/रत ितवष आधार पर एक माणप2 िवज तीय

(5) संकलनकता यह सिनि7 चत करेगा क-

(6) अनुपालन अधिकारी को िनयम% और िविनयम%, िधकरण "ारा जारी अधिसूचना; मागदशक िसरांत% या अनुदेश% का अनुपालन, िजसके अंतगत अभिदाता; क िशकायत% का िनवारण भी है, करने को मानीटर करने का उज तरदियज व सापा गया है । (7) अनुपालन संबंधी िनदशिका और आंतरक िनयं2ण तं2, िजसके अंतगत आंतरक संपरी/ा णालयां भी हW, यथा8 थान हW ।(8) संकलनकता को अपनी 8 वयं क फस या सेवा भार% के म6 अभिदाता;से कोई रिश संगृहीत करने के िलए िधकृत नह किया जाएगा ।(9) संकलनकता अंतFनिहत अभिदाता; से िनिध संOहण क िव7 वसनीय णाली सिनि7 चत करेगा । (10) रा@ गीय पशन णाली-8 वावलंबन् अभिदाता िशकायत रपोटG का आविधक पुनFवलोकन अथवासंपरी/ण किया जाएगा, िजससे िधकरण के िविनयम% और मागदशक िसरांत% का अनुपालन सिनि7 चत किया जा सके ।(11) संकलनकता समुचित और तज पर अनुपालन तथा िधकरण के अधिकारय% या िधकरण "ारा िनयु\$ जि\$य% या संपरी/क% "ारा लेखा-बिहय%, अभिलेख%, द8 तोवेज% और अवसंरचना, णालय% और =या; के कसी िनरी/ण के िलए सहायता सिनि7 चत करेगा ।

(ख) अभिदाता को ऐसी रीत म, जो कपटपूण ामक है, सही सूचना उपलY ध कराना ; (ग) इस बात का अवधारण करने म क Q या आचरण इस िविनयम के अधीन ामक है, िनV निलिखत कारक% को

(घ) रा@ गीय पशन णाली-8 वावलंबन् क मुख य िवशेषताएं, िजसके अंतगत अभिदाता; के ल/ण, फायदे और (ङ.) रा@ गीय पशन णाली-8 वावलंबन् के िलए अभिदाता क ज?रत या अभिदाता के िलए उसक उपयुक् तता ; (च) कसी िविध या िविनयम के अधीन अभिदाता; के अधिकार ।(क)उसके सभी संबंधित कायालय% म णालयां सु8 थापत हW ; (ख)मुख काFमक, िजनके अंतगत चालन और अनुपालन अधिकारी भी हW, सभी समय% पर उपलY ध हW । ऐसे(ग)संकलनकता यह सिनि7 चत करेगा कउसके कमचारी और मुख काFमक रा@ गीय पशन णाली-8 वावलंबन् को (घ)संकलनकता से संबंधित कृज य% क संपरी/ा, संगठन के संपरी/ा नयाचार म सिV मिलत है ।

िनणायक कारक माना जा सकता है :-

जिखम भी हW ;

P यिQ तय% के संपक के Y यौर िधकरण को, रिज8 ग्रीकरण के पंहु दन के भीतर, उपलY ध कराए जाएंगे ; ो> नत करने के िलए िशि/त हW ;

(i) संकलनकता अपनी अहता; या सेवाएं दान करने के सामह य या अपनी उपलिY धय% के बारे म(ii) संकलनकता, सही, 8 प@ ट और ऐसी समयबR सूचना/डाटा के सार को सिनि7 चत करेगा जो ऐसी

(iii) संकलनकता लेखा-बिहयां और अभिलेख बनाए रखने के िलए ऐसी सवxJ तम पRितय%, णालय%, मौखक या िलिखत कोई अित7 यिQ तपूण कथन नह_ करेगा ; सरल भाषा म, जो िधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट क जाए, उचित ?प से 8 तुत क गई हो ; =या:, जिखम बंध णालय% और र/ोपाय% का अनुसरण करेगा िजससे यह सिनि7 चत कया जा सके क कायG को ऐसी रीत म कया जाए जो अभिदाता; के सवxJ तम िहत म हो ;

'Hkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13

(12) संकलनकता यह सिनि7 चत करेगा क उसक िधकृत शाखा; "ारा, जो संOहण क[तक सीमत नह_ हW, धनशोधन िनवारण अधिनयम, 2002 (2003 का 17) के और उसके अधीन बनाए गए िनयम% या ऐसी कसी अ> य िविध के, जो समय-समय पर िविनZद@ ट क जाए, उपबंध% का अनुपालन कया जाए ।(13) संकलनकता यह करार करता है क इस िविनयम के अधीन उलिखतसंकलनकता संबंधी सेवा मानक% को पूरा करने म संकलनकता क ओर से कोई िवलंब होने क दशा म वह अभिदाता कोइस िविनयम के अधीन अपने कतP य% और उJ तरदियJ व% के अनुपालन म असफल रहने के िलए ऐसे िवलंब क अविध के िलए /ितपूफ्त करेगा ।(14) संकलनकता यह सिनि7 चत करने के िलए क उसके अभिलेख हिन या िविनाश के िवdr संरि/त रहे और यह क अभिलेख को संरि/त रखने क सिवधा बनाए रखने क P यव8 था क गई है, पया0 =याएं और सिवधाएं 8 थापत करेगा । (15) संकलनकता ऐसी कसी हिन के िलए, जो ऐसे अभिदाता; को संकलनकता के कमचारय% के दोषपूण काय, उपे/ा या P यित=म के कारण घटत (ई हो, उनक /ितपूफ्त करने क पयाb त P यव8 था करेगा । (16) संकलनकता अनुसूची 6 म यथा िविनZद@ ट P यिQ तगत सूचना के अकटन संबंधी िविनयम का अनुपालन करेगा ।

माH यम से कसी योजन के िलए, िजसके अंतगत इस िविनयम के अधीन यथाविनZद@ ट योजन भी हW, संकलनकताक लेखा बिहय%, अभिलेख, िजसके अंतगत टेलीफोन के अभिलेख और इलैQ 9 िनक अभिलेख भी हW और द8 तावेज% का िनरी/ण और संपरी/ा कर सकेगा ।(2)

(अधिकारी के ?प म िनयुQ त कर सकता है या कसी अ> य अहक संपरी/क को िनयुQ त कर सकता है । (1956 का 1) क धारा 226 म उसका है ।22. िधकरण या उसका िधकृत ितिनिध यासंपरी/कसंकलनकता को दस काय दवस क सूचना देगा : 21.

3) करण—इस उपिविनयम के योजन% के िलए, 'अहक संपरी/क' का वही अथ होगा जो कंपनी अधिनयम, 1956 िनरी ण और संपरी

ा – (1) िधकरण, कसी समय J य/ ?प से या अपने कसी िधकृत ितिनिध के

उपिविनयम (1) म िनZद@ ट योजन% के अंतगत िनV निलिखत भी हो सकगे,- (क) अवसंरचनाJ मक सामह य, णालय% और =या; को अभिनि7 चत करना ; (ख) यह सिनि7 चत करना क लेखा बिहयां, अभिलेख, िजनके अंतगत टेलीफोन अभिलेख और इलैQ 9 िनक (ग) यह अभिनि7 चत करना क Q या यथौचित आंतरक िनयं2ण पRितय%, =या; और र/ोपाय% को 8 थापत (घ) यह अभिनि7 चत करना क अधिनयम या िधकरण "ारा बनाए गए िविनयम% या जारी कए गए परप2%, (ड.) अभिदाता;, नोडल कायालय%, माH यवFतय% या कसी अ> य P यिQ त से ऐसे कसी िवषय पर, जो िधकरण (च) ऐसे िवषय% म, जो अभिदाता; के िहत म उचित समझे जाएं, 8वत: संNान से जांच कया जाना ।िधकरण, उपिविनयम (1) म िनZद@ ट िनरी/ण या संपरी/ा कराने के िलए एक या अधिक P यिQ तय% को िनरी/ण

िनरी

ण और संपरी

ा के पूव सूचना – (1) िविनयम 21 के अधीन कोई िनरी/ण या संपरी/ा करने के पूव अभिलेख भी हW और द8 तावेज% को

इन विनियमों के अधीन अपि/त रीति में बनाए रखा जा रहा है ; कया गया है और Q या संकलनकता "ारा उनका अनुसरण कया जा रहा है ; मागदशक िसरांत% या अधिसूचना; का पालन कया जा रहा है ; "ारा संकलनकता को सापे गे =याकलाप% से संबंधित है, ाब त िशकायत% क जांच कया जाना ; िनरी

ण और संपरी

आयाय 4

परंतु यद िधकरण का यह समाधान हो जाता है क अभिदाता; के िहत% क तज काल र/ा के िलए िनरी/ण या संपरी/ा आव7 यक है तो कसी सूचना क अपे/ा नह होगी ।(उपबंधित बाह यता; का िनवहन करने के िलए आबरकर होगा ।23. संपरी/ा क जा रही है, और उसके 7 येक िनदेशक, अधिकारी और कमचारी का यह कतप य होगा क वह िधकरण या उसके िधकृत ितिनिध या संपरी/क को अपनी अभिर/ा या िनयं2ण म क पु8 तक%, लेखा;, अभिलेख% और अ> य द8 तावेज% को, ऐसी यिु तयु त अविध के भीतर, जो िविनZद@ ट क जाए, 8 तुत करऔर िधकरण "ारा उसे सापे गे =याकलाप% से संबंधित ऐसे िववरण और सूचना द, िजसक उसके "ारा अपे/ा क जाए ।(2) P यक् ित "ारा अधिभोग म रखे गए परसर तक यिु तयु त प(ंच क अनुNा देगा और संकलनकता या ऐसे अ> य P यिु त के कY जे म क क> ह पु8 तक%, अभिलेख%, द8 तोवज% और कV b यूटर डाटा क परी/ा करने के िलए यिु तयु त सिुवधा भी दान करेगा और ऐसे द8 तावेज% या अ> य सामOी क ितियां भी, जो िधकरण या उसके िधकृत ितिनिध या संपरी/क क राय म िनरी/ण या संपरी/ा के योजन के िलए सुसंगत ह%,उपलY ध कराएगा । (3) संपरी/ा के संबंध म ऐसी सभी सहायता दान करे िजसक िधकरण या उसका िधकृत ितिनिध यिु तयु त ?प से अपे/ा कर । 24. जाएगी, जो उस रपोट पर िवचार करने के प7 चात् ऐसी कारवाई कर सकेगा जो वह अभिदाता; के िहत म ठीक और उचित समझे । (2) िधकरण, यथा8 थित, 8वत: संNान से या िनरी/ण रपोट पर िवचार करने के प7 चात् मामले म अ> वेषण या जांच करने का आदेश दे सकेगा । िनरी/ण या संपरी/ा के योजन के िलए उसके "ारा उपगत ऐसे P यय संकलनकता से वसूल करने का हकदार होगा । संबंध म 7 य/ ?प से या अपने िधकृत ितिनिध के माह यम से संकलनकता के िनरी/ण या संपरी/ा का या दोन% का काय ितवष आधार पर या ऐसी अ> य अविध पर, जो िधकरण "ारा िविहत क जाए, पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण (रा@ गीय पशन णाली > यास) िविनयम, 2015 के उपबंध% के अनुसार अपने हाथ म लेगा । संकलनकता रा@ गीय पशन णाली > यास या उसके िधकृत ितिनिध को उस परसर तक, जो उसके अधिभोग म है, लेखा बिहय%, अभिलेख% तक यिु\$यु त प(ंच क अनुNा देगा और यथा8 थित, ऐसे िनरी/ण अथवा संपरी/ा के योजन के िलए ऐसी आव7 यक जानकारी, िजसक उसके "ारा अपे/ा क जाए, उपलY ध कराएगा ।

रिज8 ग्रीकरण माणप2 अनुद7 त कया गया है-

2)

िनरी

ण या संपरी

ा फ*स का संदाय िधकरण, 7 य/ ?प से या अपने िधकृत ितिनिध के माह यम से कए गए िनरी/ण के दौरान संकलनकता, िजसके िवतर िनरी/ण या संपरी/ा क जा रही है, इन विनियमों के अधीन यथा िनरी

ण और संपरी

ा पर संकलनकता क* बायताएं- (1) ऐसे संकलनकता का, िजसके कायG का िनरी/ण या

संकलनकता िधकरण या उसके िधकृत ितिनिध या संपरी/क को उसके "ारा या उसक ओर से कसी अ> य

संकलनकता का यह कतप य होगा क वह िधकरण या उसके िधकृत ितिनिधको या संपरी/क को िनरी/ण या

करण माणप\$ का र@करण या िनलंबन - (1) जहां कोई ऐसा संकलनकता, िजसे इन विनियमों के अधीन (क)क> ह ऐसी शतG का, िजसके आधार पर उसे रिज8 ग्रीकरण माणप2 अनुद7 त कया गया है, पालन करने म असफल रहता है ;

त 'कया जाना - (1) िनरी/ण या संपरी/ा पूरी होने पर, िधकरण को एकरपोट 8 तुत क

माणप\$ का िनलंबन या र@करण और A यितBम क* दशा म" कारवाई

स 8ारा िनरी

ण और संपरी

ा- रा@ ग्रीय पशन णाली > यास चालन सेवा 8 तरीय करार% के

अ याय 5

¹Hkkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vIk/kj.k 15

वहां िधकरण, अधिनयम, िविनयम%, उसके अधीन जारी िनदेश%, अनुदेश% या परप2% के अधीन कसी अ> य कारवाई पर ितकूल भाव डाले िबना, आदेश "ारा ऐसे संकलनकता के रिज8 ग्रीकरण का र6करण या िनलंबन करने या उसे J या त करने सहित इन िविनयम% के अधीन उपबंिधित रीत म ऐसी कारवाई या कोई अ> य कारवाई, जो समुचित समझी जाए, कर सकेगा । पा2ता क शतG का रिज8 ग्रीकरण अविध और उसके िव8 तार क अविध क संपूण वतनाविध के दौरान सवथा पालन कया जाए, िजसम असफल रहने पर रिज8 ग्रीकरण माणप2 र6 कया जा सकेगा । रिज8 ग्रीकृत संकलनकता "ारा िधकरण को पा2ता क शतG के अनुपालन को माणत करने वाला माणप2 वाFषक आधार पर िवJ तीय वष के िलए लेखा; के बंद होने के तीस दन के भीतर दया जाएगा ।जाने संबंधी आदेश तब तक नह_ कया जाएगा जब तक क संकलनकता को सुनवाई का उचित अवसर दान न कर दया जाए । अधीन बनाए गए िविनयम% के अधीन रिज8 ग्रीकरण माणप2 अनुदJ त कया गया है, जो अपने कायकलाप छोड़ना चाहता है और रिज8 ग्रीकरण माणप2 अn यFपत करना चाहता है, िधकरण से ऐसे अn यपण का अनुरोध कर सकेगा । का ऐसे कारक% पर, जो वह ठीक समझे, समाधान करने क अपे/ा कर सकेगा, िजसके अंतगत िनV निलिखत कारक भी सिV मिलत हW, क> तु ये िनV निलिखत तक सीमित नह_ हW-- (2) एक बार रिज8 ग्रीकृत होने पर संकलनकता को यह सिुनि7 चत करना होगा क इन िविनयम% म यथा वFणत

(3) कसी संकलनकता को अनुद# रिज8 ग्रीकरण माणप2 का र6करण, िनलंबन कए जाने या उसे J या त कए

(2) इन िविनयम% के अधीन ऐसे अनुरोध का िन8 तारण करते समय िधकरण, संबंिधित संकलनकता से िधकरण

(क)संकलनकता "ारा अपने 8 वयं के खच और P यय पर अधिनयम, िविनयम% और मागदशक िसRांत% के (ख)पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण (अभिदाता क िशकायत िनवारण) िविनयम, 2015 के (ख)

(ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज)

अधीन अभिलेख% और अ> य द8 तावेज% के अनुर/ण और परर/ण के िलए क गई P यव8 था ; उपबंध% के अनुसार अभिदाता क िशकायत% का िनवारण ;

इस अधिनयम या िधकरण "ारा उसके अधीन बनाए गए िनयम% या िविनयम% के क> ह_ उपबंध% का या जारी कए गए क> ह_ मागदशक िसRांत%, अधिसूचना:, िनदेश%, अनुदेश% यापरप2% का उ लंघन करता है ; अनुचित P यापारक परितय% म आलb त रहता है या अपना कारबार ऐसी रीत म करता है जो अभिदाता; के िहत पर ितकूल भाव डालने वाली हो ; चालन /े2 के संबंध म िधकरण "ारा यथा अपि/त कोई सूचना देने म असफल रहता है ; अधिनयम के अधीन या िधकरण "ारा यथा अपि/त कालक िववरणयां 8 तुत नह_ करता है ; िधकरण "ारा क जाने वाली कसी जांच म सहयोग नह_ देता है ; रिज8 ग्रीकरण के समय 8 तुत कारबार संबंधी योजना के संबंध म या सभी रिज8 ग्रीकृत संकलनकताको लागू कसी अ> य समान मानदंड% के िवतर संकलनकता "ारा कए गए अनेक नए अभिदाता रिज8 ग्रीकरण% के िनबंधनानुसार अपने काय का कालक पुनFवलोकन करने म असफल रहता है ; अधिनयम क धारा 28 के अधीन यथावFणत कायG म कोई चूक करता है,

पण – (1) कोई ऐसा संकलनकता, िजसे इस अधिनयम या उसके

वह रा@ ग्रीय पशन णाली के अभिदाता; के िहत के संर/ण के िलए उचित समझे और संबंिधित संकलनकता ऐसी शतG का पालन करेगा । िधकरण "ारा P यित=म के िलए कोई कारवाई आरंभ क गई है या अनुM यात क गई है ।तारीख से ही संबंिधित संकलनकता - (3) अn यपण संबंधी अनुरोध 8 वीकार करते समय िधकरण संकलनकता पर ऐसी शतs अधिरोपत कर सकेगा जो (4) कसी ऐसे संकलनकता को उसके ऐसे माणप2 के अn यपण क अनुNा नह_ दी जाएगी िजसके संबंध म

(2) रिज8 ग्रीकरण माणप2 के अn यपण या र6करण या िनलंबन क तारीख से ही संबंिधित संकलनकता - (ग)अभिदाता; के अभिलेख%, िनिधय% या ितभूतय% का उनके 8 वयं के खच और P यय पर िधकरण "ारा (घ)अभिदाता; क सतत् सेवा सिुनि7 चत करने के िलए उसके "ारा क गई P यव8 था ; (ङ)P यित=म या लंिबित कारवाइयां, यद कोई ह% ।

(क) िधकरण को, इस कार र6 कया गया रिज8 ग्रीकरण माणप2 वापस कर देगा और ऐसे =याकलाप

(ख) कोई ऐसा =याकलाप करने से िवर्त रहेगा िजसके संबंध म माणप2 अनुदJ त कया गया था ; (ग) अपने =याकलाप, ऐसे =याकलाप करने के िलए िविधमा> य रिज8 ग्रीकरण माणप2 धारण करने वाले (घ) उसके "ारा उपगत या कि पत दियाJ व% के संबंध म उपबंध करेगा ; (ङ) इन मागदशक िसरंांत% के अधीन या उससे अ> यथा आदेश पारत करते समय, ऐसी अ> य कारवाई, यथा िविनZद@ ट दूसरे संकलनकता को अंतरण ;

(क) अभिदाता; से कोई अितरQ त सुपुदगी नह_ लेगा या कोई धन रिश या सूचना संगृहीत नह_ करेगा । (ख) अपने अभिदाता; को, यथा8 थित, अपनी धनरिश या सुपुदिगय% के अंतरण करने क अनुNा देगा

(ग) उसके "ारा उपगत या कि पत दियाJ व% के संबंध म उपबंध करेगा ; (घ) इन मागदशक िसरंांत% के अधीन या उससे अ> यथा, आदेश पारत करते समय ऐसी अ> य कारवाई

को काया> वत करने के िलए, िजसके िलए ऐसा माणप2 अनुदJ त कया गया था, रिज8 ग्रीकरण माणप2 के धारक होने का ितिनिधJ व नह_ करेगा ;

िधकरण "ारा यथानदिशत कसी अ> य संकलनकता को अंतरत कर देगा और अपने अभिदाता; को अपनी िनिधयां, िबना कसी अितरQ त लागत के अंतरती इकाई को अंतरत करने क अनुNा देगा ;

िजसके अंतगत अभिदाता; के क> ह_ अभिलेख% या द8 तावेज% और सूचना या धनरिश से, जो ऐसे िनलंबन क अविध के दौरान वह ऐसी कोई कारवाई नह_ करेगा िजसके संबंध म रिज8 ग्रीकरण माणप2 अनुदJ त कया गया था ; अथवा रा@ ग्रीय पशन णाली > यास को, कसी अितरQ त खच के िबना, उसे दी गई कसी सुपुदगी को वापस करने क अनुNा देगा ;

करेगा, िजसके अंतगत ऐसे अभिदाता; के क> ह_ अभिलेख% या द8 तावेज% तथा ऐसी सूचना या धनरिश से, जो ऐसे संकलनकता क अभिर्ा या िनयं2ण म है, संबंधित कारवाई भी है, ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीत म, जो सुसंगत िविनयम% के अधीन अपि/त हो या जैसा िधकरण "ारा िनदेश दया जाए ।

पण का भाव-(1) माणप2 के िनलंबन, र6करण या अn यपण क

'Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17

30. रिज8 ग्रीकरण माणप2 अनुदJ त कया गया है—

वहां िधकरण, अधिनयम या िविनयम% या उसके अधीन जारी िनदेश% या परप2% के अधीन क गई कसी कारवाई पर ितकूल भाव डाले िबना, आदेश "ारा, ऐसी कारवाई इन िविनयम% के अधीन उपबंधित रीत म कर सकेगा । कसी अ> य संबंधित P यिQ त ने िविनयम 27 म िविनZद@ ट कृत क कोई चूक क है वहां वह मुख य महाबंधक से अनिव न्ेणी के कसी अधिकारी को या कसी समतु य न्ेणी के कसी अ> य अधिकारी को अभिहत िधकारी के ?प म िनयुQ त कर सकेगा । िधकारी के ?प म िनयुQ त नह_ क जाएगी । चलता है, तो वह संकलनकता या कसी संबंधित P यिQ त को, उससे इस बात का कारण द्शत करने क अपे/ा करते (ए क Q य% न उसे अनुदJ त कए गए रिज8 ग्रीकरण माणप2 को िनलंबित या र6 कर दया जाए या Q य% न उसम उपबंधित कोई अ> य कारवाई क जाए, एक सूचना जारी करेगा । अित=मण को, अधिनयम, िविनयम%, िनदेश% या परप2% के उन उपबंध% को उपदशत करते (ए, िजनक बाबत अित=मण करने का अभिकथन कया गया है, िविनZद@ ट कया जाएगा । अवलंब िलया गया है और द8 तावेज% के सुसंगत भाग के उरण, ऐसी रपोटs, िजनम कए गए अ> वेषण या िनरी/ण, यद कोई हो, म दए गए िन@ कष अंतव@ ट ह%, उपावर क जाएंगी । तारीख से इQ कस दन से अधिक नह_ होगी, अभिहत िधकारी को एक िलिखत अn यावेदन 8 तुत करने क अपे/ा क जाएगी । सूचना म िविनZद@ ट अविध के भीतर अपना िलिखत अn यावेदन, उसके समथन म द8 तावेजी साJ य, यद कोई हो, के साथ 8 तुत करेगा : कारण% को लेखवर करने के प7 चात् सूचना म िविनZद@ ट समय को बढ़ा सकेगा । परंतु अभिहत िधकारी सूचना ाb त करने वाले P यिQ त "ारा दशत पयाb त आधार% के आधार पर और ऐसे िव8 तार के (क) ऐसी कसी शत का पालन करने म असफल रहता है, िजसके अn यधीन उसे रिज8 ग्रीकरण माणप2 अनुदJ त (ख) अधिनयम या िविनयम% के क> ह_ उपबंध% या उसके अधीन जारी िनदेश% या परप2% का उ लंघन करता है,

(2) कसी ऐसे अधिकारी क, िजसने अभिकथित अित=मण क बाबत अ> वेषण या िनरी/ण कया है, अभिहत

- (2) उपविनयम (1) के अधीन J येक सूचना म, सूचना ाb त करने वाले P यिQ त "ारा कए गए अभिकिथत
- (3) उपविनयम (1) के अधीन जारी सूचना के साथ ऐसे द8 तावेज% क ितयां, िजनका अn यारोपण करने म
- (4) सूचना ाb त करने वाले P यिQ त से, सूचना म िविनZद@ ट ऐसी अविध के भीतर, जो उसक तामील होने क 31.

करण माणप\$ का र@करण या िनलंबन- जहां ऐसा कोई संकलनकता, िजसे इन िविनयम% के अधीन

सूचना का जारी 'कया जाना – (1) अभिहत िधिकारी, यद उसे ऐसा करने के यिQ तयुQ त आधार% का पता कया गया है ; संकलनकता अि8 तJ व क अभर/ा या िनयं2ण म हो, संबंिधित कारवाई भी है, ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीत म, जो सुसंगत िविनयम% के अधीन अपि/त हो या जैसा िधिकरण "ारा िनदेश दया जाए ।

त िधिकारी क* िनयु< त – (1) जहां अभिहत सद8 य को यह तीत होता है क संकलनकता या

8ारा उ& तर रर र – (1) सूचना ाb त करने वाला P यिQ त, अभिहत िधिकारी को

उJ तर नह_ देता है, तो अभिहत िधिकारी मामले म, ऐसा करने के कारण% को लेखबR करते (ए एकप/ीय कारवाई कर सकेगा और उसके सम/ उपलY ध सारवान तh य% के आधार पर ऐसा करने क िसफारश कर सकेगा । कोई ह%, मामले के तh य% और परि8 थितय% तथा अधिनयम, िविनयम%, िधिकरण "ारा दए गए िनदेश% या परप2% पर िवचार करने के प7 चात्, जहां तh य% से यह अपि/त हो, वहां िनV निलिखत क िसफारश करते (एएक रपोट 8 तुत करेगा -

रपोट ाb त होने पर अभिहत सद8 य उस पर िवचार करेगा और सूचना ाb त करने वाले P यिQ त को एक कारण बताओ सूचना, िजसके साथ अभिहत िधिकारी "ारा 8 तुत क गई रपोट क एक ित संलp न होगी और िजसम सूचना ाb त करने वाले P यिQ त से इस बारे म क उसके िवdr कोई कारवाई, िजसके अंतगत समिचत िनदेश पारत करना भी है, Q य% नह_ कजानी चाहए, िलिखत अn यावेदन 8 तुत करने क अपे/ा क गई हो, जारी करेगा । जो उस उJ तर पर, यद सूचना ाb त करने वाले P यिQ त से ाb त होता है, िवचार करने और उस P यिQ त को सुनवाई का अवसर देने के प7 चात्, यथासंभव शीतता से समिचत आदेश पारत कर सकेगा और सूचना का उJ तर ाb त होने या सुनवाई क तारीख से एक सौ बीस दन के भीतर आदेश पारत करने का यास कया जाएगा।वाले अनेक P यिQ तय% के संबंध म एक समान आदेश पारत कर सकेगा । अभिहत सद8 य "ारा कए गए J येक आदेश तारीख सहित ह8 तार/त होगा । िधिकरण क वेबसाइट पर भी डाला जाएगा । अधिनयम और पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधिकरण (> यायिनणयन अधिकारी "ारा जांच क =या) िविनयम, 2015 के अनुसार कया जाएगा ।

(2) यद सूचना ाb त करने वाला P यिQ त, उस योजन के िलए दJ त समय के भीतर कारण बताओ सूचना का

(2) सूचना ाb त करने वाला P यिQ त, सूचना िb त के इQ कस दन के भीतर अभिहत सद8 य को एक उJ तर भेजेगा

(3)अभिहत सद8 य, जहां 7 नगत िवषय व8 तु सारवान ?प से समान या सम?प कृत क है, सूचना ाb त करने

(2) इन िविनयम% के अधीन पारत आदेश क ित संकलनकता या संबंिधित P यिQ त को भेजी जाएगी और उसे (क)रिज8 ग्रीकरण माणप2 का िविनZद@ ट अविध के िलए िनलंबन ; (ख)रिज8 ग्रीकरण माणप2 केर6करण ; (ग)आदेश म िविनZद@ ट अविध के िलए सूचना ाb त करने वाले P यिQ त को कोई नया काय या संविदा ाb त(घ)सूचना ाb त करने वाले P यिQ त के धान अधिकारी को आदेश म िविनZद@ ट अविध के िलए कसी (ङ)सूचना ाb त करने वाले P यिQ त क कसी शाखा या कसी कायालय को िविनZद@ ट अविध के िलए कोई (च)सूचना ाb त करने वाले P यिQ त को चेतावनी देना । िसफारश पर कारवाई करने क* 'Bया- (1) अभिहत िधिकारी से कारवाई करने क िसफारश करने वाली

आदेश क* संसूचना – (1) इन िविनयम% के अधीन कसी अभिहत िधिकारी "ारा दी गई J येक रपोट और ितBम क* दशा म" कारवाई - अभिहत िधिकारी, सूचना ाb त करने वाले P यिQ त के अn यावेदन%, यद

करने या नवीन 8 कम ारंभ करने से ितिषR करना ; रिज8 ग्रीकृत मH यवतL या अ> य रिज8 ग्रीकृत P यिQ त पर िनयोजत या उसके साथ सहयोजत होने से िववFजत करना ; =याकलाप करने से िववFजत करना ;

यिनणयन- संकलनकता या कसी संबंिधित P यिQ त पर शिा8 त का अधरोपण, यद कोई हो,

पारत कसी आदेश से असंतुष्ट है, अधिनियम क धारा 36 क उपधारा (1) के अधीन त्रिभूत अपील अधिकरण के सम/ अपील कर सकेगा ।

समय-समय पर विनियमन ट करे या निजनक वह अपेक्षा करे । बाबत पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा । संकलनकता, अधिकरण क पूर्व अनुमित के बिना ऐसा डाटा या सूचना विविध क सव यक्त = या "ारा यथा अपित के सिवाय, सा] य के ? पम या कसी अ> य योजन के लिए 8 तुत या साझा नह करेगा । के हित म या संकलनकता के उचित बंधन को सुनिश्चित करने के योजन के लिए आवश्यक निदेश जारी करेगा क> तु वह निम्नलिखित सभी या क> ह तक सीमित नह होगा . बिना त्रिदाय करने का संकलनकता को निदेश देते (ए ;

कठनायक को दूर करने के लिए, अधिकरण परपत्र, अधिसूचना; या मागदशक सिस्टम के ?प म 8 पट्टीकरण और मागदशक सिस्टम जारी कर सकेगा ।

रपोर्ट और कटन - संकलनकता अधिकरण को ऐसी रपोर्ट 8 तुत या उपलब्ध कराएगा या उनका कटन करेगा जो गोपनीयता - संकलनकता, राष्ट्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन के अधीन उसे ात सभी अभिलेख, डाटा और सूचना क

निदेश - (1) इन विनियम के अन्तर्गत 5 के अधीन कसी आदेश पर त्रिकूल भाव डाले बिना अधिकरण, अभिदाता; य पशन णाली-8 वावलंबन के अधीन अभिदाता; से संगृहीत क> ह अभिदाय या धनराश का य याज सहित या उसके

कोई असव यक्त विलंब कए बिना निदेश पारत करने के पश्चात् संबंधित पत्र या त को सुने जाने का पत्र या त अवसर दान कर सकेगा ।

8 पट्टीकरण- इस अन्तर्गत के योजन के लिए,-

(क) कोई अ> य ऐसा निदेश देते (ए, जो मामले क परिस्थितय म अधिकरण ठीक या उचित समझे, करेगा :

(क) "अभिहित अधिकारी " पद से विनियम 31 के उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त अधिकरण का कोई (ख) "अभिहित सदस्य " पद से अधिकरण का त्रि योजनाथ अन्तर्गत या कोई पूर्णकालिक सदस्य अभिमत है ; (ग) "सूचना ात करने वाला पत्र या त" पद से ऐसा पत्र या त अभिमत है जिसे इस अध्याय के अधीन सूचना जारी

परंतु यह और क यद परिस्थितय म तुरंत कोई अंतरिम निदेश पारत किया जाना अपित है तो अधिकरण, परंतु कोई निदेश जारी करने के पूर्व अधिकरण, संबंधित पत्र या त को सुनवाई का पत्र या त अवसर दान त्रिभूत अपील अधिकरण को अपील - संकलनकता या कोई अ> य संबंधित पत्र या त, यद अभिहित सदस्य "ारा

अधिकारी अभिमत है ;

क गई है ।

करण जारी करने क शक्ति- इन विनियम के लागू कए जाने या उनके निवचन म क क> ह अयाय क

[विनियमन-III/4/ असा./203/14] हेमंत जी, कांटेक्स्टर अन्तर्गत

आवरण पत्र..... सरकार या सरकार "ारायोजित अधिकरण के लिए संकलनकता अनुपालन पत्र ना..... उपाबंध 1: ाहक आधार और दान क गई सेवा; का य यौरा उपाबंध 2: विणि यक्त उपम उपाबंध 3: संघ (क> सोरटयम) भागीदार के य यौर के घोषणा..... आवरण पत्र (कंपनी के अधिकारक पत्र पर उपलब्ध कराया जाए) सेवा म,

विषय : राष्ट्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन के अधीन संकलनकता के ?प म रिज 8 ग्रीकरण के लिए आवेदन । महोदय/ महोदया, अधिकरण "ारा विनियमन ट "संकलनकता; के लिए चालन संबंधी मागदशक सिस्टम" क समीक्षा क है और मन्त्रालय/हमने उसको समझ लिया है । कखग कायपालक निदेशक पशन निधि विनियामक और विकास अधिकरण पहला तल, आईसीएडीआर भवन, 6 लाट सं 0 6 वसंत कुंज संस्थागत /े 2, फेस- 2, नई दली - 110070

मन्त्रालय/हमने, अधोहस्ताक्षरी, पशन निधि विनियामक और विकास अधिकरण (संकलनकता) विनियम, 2015 तथा राष्ट्रीय पशन णाली - 8 वावलंबन के अधीन संकलनकता के ?प म रिज 8 ग्रीकरण के लिए पशन निधि विनियामक और विकास अधिकरण (संकलनकता) विनियम, 2015

“संकलनकता के ?प म रिज8श्रीकरण के िलए”

<संगठन का नाम> के सद8 य% के िलए
[िविनयम 4(1) और (2) दिखए]

<संगठन का नाम>

करण माणप\$ अनुद& त करने के िलए आवेदन

के सद8 य% के िलए िवषय-सूची
प क

तारीख.....

अनुसूची -1

'Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21

2. हम <संगठन का नाम> से संबR रा@ श्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन् के भावी अभिदाता; को िविनZद@ ट सेवाएं दान करने के िलए “रा@ श्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता” के ?प म रिज8 श्रीकृत कए जाने क वांछा करते हW । हम “संकलनकता के िलए चालन संबंधी मागदशक िसरंत%” तथा िधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट अ> य संबंधित िनयम%/मागदशक िसरंत% म िविनZद@ ट =याकलाप% का पालन करने के िलए सहमत हW । 3. मW/हम इस बात क पु@ ट करते हW क हमने “पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण (संकलनकता) िविनयम, 2015” म यथावणत सभी अपे/ा; को समझ िलया है और िबना शत उससे आबर होने का करार करते हW । 4. इसके अितरQ त, हम िधकरण "ारा िविनZद@ ट ?प म अ> य मH यवतय% अथवा कसी अ> य P पिQ त के साथ, यद अपि/त हो, पृथक् करार (करार%) पर ह8 तार करने के िलए भी वचनबंध हW । 5. आव7 यक Y यौरे, समथक द8 तावेज% सहित, इस प2 के साथ, िविनZद@ ट ?प म, हमारे अनुरोध पर िवचार कए जाने के िलए संलp न हW । 6. मW/हम यह जानते हW क िधकरण के पास मेरे/हमारे आवेदन को 8 वीकार करने या उसे नामंजूर करने का अधिकार आरि/त है । इसके "ारा इस बात क पु@ ट क जाती है क मW/हम अपने िनगम/कंपनी/फम/संगठन क ओर से काय करने के िलए हकदार □□/हW और इस प2 तथा अ> य ऐसे प2%/द8 तावेज% पर, जो रिज8 श्रीकरण के िलए अपि/त ह%, ह8 तार करने के िलए सशQ त□□/हW । तारीख..... (ह8 तार)..... नाम....., (.....,क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से सहमित प2 पर ह8 तार करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है । (संगठन क सील/मुहर)

इकाई का नाम सदभ: िविनयम 3 का उपिविनयम (2) सरकार या सरकार 8ारा ायोजत अभि लगाएं ित (टक का िनशान			रण> क िलए संकलनकता का अनपालन प7 ना	
			क[ीय सरकार का िवभागरा\ य सरकार का िवभाग क[ीय सरकार क 8 वशासी िनकाय	
रिज िकत पता			अ> य, यद कोई हो (कपया िविनZ	द@टकर)

िवमान Gाहक आधार और दान क* गई सेवाएं उपाबंध 1 म Y यौरे दए गए हW हां नह_

विणिH यक वचनबंध	इकाई िधकरण "ारा यथिविनZद@ टपार\िमक ि8 थित ाb त करने का	उपाबंध 2 म विणि\ यक वचनबंध दसम गया है
-----------------	--	---------------------------------------

संदभ: िविनयम 13 हकदार हां नह_

तारीख..... (ह8 तार/र)..... नाम....., (.....क ि 8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 तार/र करने के िलए सव यक् ?प से (संगठन क सील/मुहर)

उपाबंध 2: : : : विणिH यइसके "ारा इस बात क पुि@ ट क जाती है क मW/हम अपने संगठन क ओर से काय करने के िलए हकदार □□/हW तथा यह वचनबंध करने के िलए सशQ त □□/हW क यद मेरी सं8 था को रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन् के अधीन िधकरण "ारा संकलनकता के ?प म रिज8 ग्रीकृत कया जाता है तो वह (इकाई) रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन् सेवाएं उपलY ध कराने के िलए कोई फस/सेवा भार भारत नह_ करेगी ।हम इस बात क भी पुि@ ट करते हW क हम इन सेवा; के म6 पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण (संकलनकता) िविनयम, 2015 म िधकरण "ारा यथा िविनZद@ ट रिश ही ाb त करगे ।यह ितबरता रिज8 ग्रीकरण क संपूण अविध और उसे मंजूर क गई िव8 तारत अविध के िलए िविधमा> य है । मW/हम ऐसे अंतराल% पर, जो िधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट कए जाएं, मेरे/हमारे संगइन "ारा दान क गई सेवा; के संबंध मसूचना दान करने के िलए ितबर □□/हW िवदुमान समूह% को दान क गई सेवा; के कार रा@ ग्रीय पशन णाली – 8 वावलंबन् के िलए भावी अभिदाता;लि] यत समूह% के Y यौरे रा@ ग्रीय पशन णाली – 8 वावलंबन् अभिदाता आधार के अगले पांच वषG के िलए ायोजनाएं वष1 : वष2 : वष3 : वष4 : वष5 :

'Hkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23

तारीख..... (ह8 तार/र)..... नाम....., (.....क ि 8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओरसे इस वचनबंध पर ह8 तार/र करने के िलए सव यक् ?प से िधकृत है ।

आवरण प2..... संकलनकता अनुपालन प> ना.....
 उपाबंध 1: Oाहक आधार के Y यौरे और दान क गई सेवाएं..... उपाबंध 2: ि विधक वचनबंध.....
 उपाबंध 3: विणि\ यक उप=म..... उपाबंध 4: शासन ढांचा दान करने का ? प..... उपाबंध 5: तकनीक और जनशिQ त /मता वचनबंध..... उपाबंध 6: रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन् के ि लए कारबार योजना..... उपाबंध 7: कसी पा2ता मानदंड क छूट/िशिथलीकरण क ईb सा करने का ?प..... आवरण प\$ (कंपनी/अधिकारक प2क पर उपलYध कराया जाए) सेवा म, कखग कायपालक िनदेशकपशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण पहला तल, आईसीएडीआर भवन, b लाट सं0 6 वसंत कुंज सं8थागत /े2, सरकारी इकाइय> के िलए रिज ि करण माणप\$ अनुद& तपशन ि निध ि विनयामक और ि वकास ि धकरण (संकलनकता) िविनयम, 2015

संगठन का नाम के सद8 य% के िलए [िविनयम 4(1) और (2) दिखए]

संगठन का नाम> िवषय-सूची

अनुसूची 2 प2

के प म" रिज िकरण के िलए आवेदन

तारीख.....

(संगठन क सील/मुहर)

	प7-नं	
II. संकलनकता अनुपालनइकाई का नाम		

िवषय : रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता के ?प म रिज8 ग्रीकरण के िलए नवीकरण के आवेदन । महोदय/महोदया, िधकरण "ारा िविनZद@ ट “संकलनकता; के िलए चालन संबंधी मागदशक िसरांत%” क समी/ा

क है और मWने/हमने उसको समझ िलया है । 2. हम <संगठन का नाम> से संबR रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन् के भावी अभिदाता; को िविनZद@ ट सेवाएं दान करने के िलए “रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता” के ?प म सूचीबR कए जाने क वांछा करते हW । हम “संकलनकता के ि लए चालन संबंधी मागदशक ि सरांत%” तथा िधकरण "ारा समय-समय पर ि विनZद@ ट अ> य संबंधित ि नयम%/मागदशक ि सरांत% म ि विनZद@ ट =याकलाप% का पालन करने के िलए सहमत हW । 3. मW/हम इस बात क पुि@ ट करते हW क हमने “पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण (संकलनकता) िविनयम, 2015” म यथावFणत सभी अपे/ा; को समझ िलया है और िबना शत उससेआबर होने का करार करते हW । 4. इसके अितरQ त, हम िधकरण "ारा िविनZद@ ट ?प म अ> य मH यवFतय% अथवा कसी अ> य P यिQ त के साथ, यद अपि/त हो, पृथक् करार (करार%) पर ह8 ता/र करने के िलए भी वचनबंध हW । 5. आव7 यक Y यौरे, समथकद8 तावेज% सहित, इस प2 के साथ, िविनZद@ ट ?प म, हमारे अनुरोध पर िवचार कए जाने के िलए संलp न हW । 6. मW/हम यह जानते हW क िधकरण के पास मेरे/हमारे आवेदन को 8 वीकार करने या उसे नामंजूर करने का अधिकार आरि/त है । इसके "ारा इस बात क पुि@ ट क जाती है क मW/हम अपने िनगम/ कंपनी/फम/संगठन क ओर से काय करने के िलए हकदार □□/हW और इस प2 तथा अ> य ऐसे प2%/द8 तावेज% पर, जो रिज8 ग्रीकरण के ि लए अपि/त ह%, ह8 ता/र करने के ि लए सशQ त□□/हW ।तारीख..... (ह8 ता/ र)..... नाम....., (....., क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से सहमित प2 पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है ।

इकाई रिज8 ग्रीकृत है (कृपया टक का िनशान लगाएं) कसके
फेस- 2, नई द ली - 110070

मWने/हमने, अधोह8 ता/री, पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण (संकलनकता) िविनयम, 2015 तथा अधीन सोसाइटी रिजस् ग्रीकरण अधिनयम, 1860 (या इस अधिनयम का कोई रा\ य संशोधन भारतीय > यास अधिनयम, 1882

<संगठन का नाम> के सद8 य% के िलए

ऐसे माणप2 क ित उपलY ध कराई गई है
(संगठन क सील/मुहर)

हां नह_

'Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25

संदभ: ि विनयम 3 का उपिविनयम (2)		
	पूत और धाFमक > यास अधिनयम, 1920 बWककारी िविनयमन अधिनयम, 1949 कंपनी अधिनयम, 1956 (धारा 25, अलाभाथकंपिनय% के िलए) कंपनी अधिनयम, 1956, भारतीय रजव बWक से आव7 यक माणन सहित (एनबीएफसी के िलए) कपनी अधिनयम, 1956, कसी अ> य कपनी क िलए िहिताधकारय% क कसी िविनZद@ ट समह क िलए	

रिज8 ग्रीकृत पता इकाई क प@ ठभिम	मख सवतक समह क Y यौर, िजसम शयर धारता 8व?प भी हो रा@ ग्रीय आवास बोड "ारा ि विनयिमत इकाइया अ> य, यद कोई ह% (कपया िविनZद@ ट कर)	सगठन का सि/b त सार (पथक प> न पर उपलY ध
इकाई ि वJ तीय सेवा; के ि लए कारबार म लगी (ई ह सदभ: िविनयम 3 का	आवेदक क तारीख को- पाच वष स कम स	कराया गया ह) िपछले तुलनप2उपलY ध कराया गया ह हा तीन हां नह_वष का
उपिविनयम आवेदन मिलयत (क4)शुR	आवेदक क तारीख को- पाच स दस वष स दस से अधिक वष से	सनदी लेखाकार से शुR मिलयत सम्बध कराया गया ह नह_ का माणप2
सदभ: ि विनयम 3 का उपिविनयम (4) िवुमान ओहक आधार और दान क गई	पचास लाख tपए या उसस अधिक एक करोड़ tपए के कारबार या उससे अधिक	सम्बध 1 म Y यौर दए गए ह हा नह_
सवाए	हा नह_	

इकाई ि8 थित सदभ: िविनयम 3 का उपिविनयम (4) किंवा तीय Q या इकाई को िपछले पांच वषG म कम से कम तीन वषGम हिन (ई है हां नह_

िविधक वचनबध	कसी िवJ तीय सQ टर िविनयामक "ारा या > यायालय "ारा कपया उन वषG क सX या िविनZद@ ट कर िजनम इहिन (ई ह	काईको िपछल पाच वषG क दौरानउपाबध 2म घोषणा उपलY ध
सदभ: ि विनयम 3 का उपिविनयम (11) विणि\ यक वचनबध	िपछल पाच वषG म स कसी म दडादश और अवरोध आदश नह_ कए गए ह ।इकाई िधकरण "ारा यथिविनZद@ ट पारvिमक ाb त	कराई गई ह सम्बध 3मविणि\ यक वचनबध हा नह_
सदभ: िविनयम 13 शासन ढाचा	करन क हकदार ह इकाई का एक ा?िपक शासन ढाचा होगा (बोड, बध	उपलY ध कराया गया ह सम्बध 4म Y यौरा उपलY ध हा नह_
सदभ: ि विनयम 3 का उपिविनयम (5) तकनीक और जनशिQ त	सिमित सवा;सामाजक ि विकास म पयाb त अनभव ाप त ह और िवJ तीय =याकलाप को हाथ म लन क पयाb त /मता ह । इकाई क पास रा@ ग्रीय पशन णाली का पालन करन क या समत य) और सद8 य% को िवJ तीय	कराया गया ह उपाबध 5म वचनबध उपलY ध हा नह_
/मता सदभ: ि विनयम 3 का उपिविनयम (8) और (9) कारबार योजना	िलए पयाb त तकनीक अवसरचना ह और पयाb त िशि/त कमचारवद तथा पयाb त सामh य ह इकाई एक कारबार योजना 8 तत करगी, उपा	कराया गया ह हा नह_

सदभः ि विनयम 3 का उपिविनयम (12)	उपलY ध कराया गया ह हा नह_	
---------------------------------	---------------------------	--

कसी पा2ता मानदंड कक ईb सा करना संदभः ि विनयम 3 का उपिविनयम (13) तारीख..... (ह8 ता/र)..... नाम....., (.....क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है ।(संगठन क सील/मुहर) छूट/ि शिथलीकरण Q या इकाई पा2ता मानदंड म िशिथलीकरण क ईb सा कर हां नह_ 7 उपलY ध कराया गया है

!Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vIk/kj.k 27

सभी सवा; म(आवदन क तारीख स) िवृमान Oाहक आधार सX या, जो रा@ गीय पशन णाली - 8 वावलब>क अधीन भी होगा	
उपलY ध कराई गई सेवा; क सूची रा@ गीय पशन णाली 8 वावलंबन के िलए Oाहक आधार क पांच वषLY योजनाएं (अपन मख कारबार क िलए) और ल] य	(यद आव7 यक हो तो कृपया अितरQ त प> न% का योग कर) मुख कारबार रा@ गीय पशन णाली िवJ तीय और गर-विJ तीय, दोन% वष1 : वष2 :

नकदी संभालने क /मता दफ़्शत करने संबंधी डाटा Oाहक/नकदी संभालने क /मता को दफ़्शत करने संबंधी कोई अ> य Y यौरे तारीख..... (ह8 ता/र)..... नाम....., (.....क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है ।उपाबंध 2: : : : िविधक वइसके "ारा इस बात क पुि@ ट क जाती है क मW/हम अपने.....िनगम/कंपनी/फम/संगठन/ क ओर काय करने के िलए हकदार □□/हW और इस आशय का वचनबंध देने के िलए सशQ त □□/हW क हमारे संगठन/ उसके संवतक%/िनदेशक% पर कसी > यायालय "ाराया कसी ि विनयामक/िनकाय/अनुशासिनक ि धकारी "ारा िपछले पांच वषG के दौरान कोई शिा8 तअिधशिपत नह_ क गई है और कोई मुख य अव/ेप पारत नह_ कया गया है । तारीख..... (ह8 ता/र)..... नाम....., (.....क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है । रा@ गीय पशन णाली - 8 वावलंबन् काय को हाथ म लेने क िवृमान सामh य और 8 तिावत सामh य (यद कोई हो) बढ़ाए जाने को दफ़्शत करने के िलए कृपया Y यौरे 8 तुत कर ।

(संगठन क सील/मुहर)

(संगठन क सील/मुहर)

उपाबंध 3 : : : : विाणिH यइसके "ारा इस बात क पुि@ ट क जाती है क मW/हम अपने िनगम/कंपनी/फम/संगठन क ओर से काय करने के िलए हकदार □□/हW तथा यह वचनबंध करने के िलए सशQ त □□/हW क यद मेरी सं8 था को रा@ गीय पशन णाली- 8 वावलंबन् के अधीन िधकरण "ारा संकलनकता के ?प म रिज8 ग्रीकृत कया जाता है तो वह (इकाई) रा@ गीय पशन णाली- 8 वावलंबन् सेवाएं उपलY ध कराने के िलए कोई फस/सेवा भार भारत नह_ करेगी ।हम इस बात क भी पुि@ ट करते हW क हम इन सेवा; के मढे इन िविनयम% म रा@ गीय पशन णाली- 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता के ?प म िधकरण "ारा यथा िविनZद@ टिनयम रिश ही ाb त करगे ।यह ितबरता रिज8 ग्रीकरण क संपूण अविध और उसे मंजूर क गई िव8 तारत अविध के िलए िविधमा> य है । मW/हम ऐसे अंतराल% पर, जो िधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट कए जाएं, मेरे/हमारे संगठन "ारा दान क गई सेवा; के संबंध म सूचना दान करने के िलए ितबर □□/हW । तारीख..... (ह8 ता/र)..... नाम....., (.....क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है ।

इसके "ारा इस बात क पिु@ ट क जाती है क मW/हम अपने िनगम/कंपनी/फम/संगठन क ओर से काय करने के िलए हकदार □□/हW और यह वचनबंध करने के िलए सशQ त □□/हW क हमारी सं8 था के पास रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन सेवाएं दान करने के िलए आव7 यक तकनीक और जनशिQ त /मता है । हमारी J येक शाखा म काीय अभिलेखापाल अभिकरण णाली तक प(ंच के िलए याb त सूचना ौgिंगक अवसंरचना है । हमारे पास रा@ ग्रीय पशन णाली अभिदाता अभिदाय और सूचना को िविनZद@ ट समय सीमा म दFशत करने और इलैQ 9ानिक ?प से िषत करने के िलए आव7 यक अवसंरचना और सामh य है । हमारे पास संP यवहार संबंधी अनुरोध ाb तकरने, पावती जारी करने और उसे काीय अभिलेखनपाल अभिकरण णाली म अपलोड करने और चालन मागदशक िसरंत% म यथा अधिकिथत अभ8 वीकृत आद जारी करने के िलए आव7 यक डाटा-भंडारण क कायालय णाली, =याएं और साuटवेयर 8 थापत करने का सामh य है। उपाबंध1.इकाई अपने शासन ढांचे के Y यौरे उपलY ध कराएगी, िजसम िनV निलिखत होगा : 2.8 वतंत िनदेशक% क सूची (यद इकाई को शासत सुसंगत कानून के अधीन ऐसा आNापक हो) 3.मानीटर करने का तंत 4.नकदी संभालने/मानीटर करने का तंत 5.कपट आद का पता लगाने/उ> ह िनयंित करने के िलए तंत 6.Oाहक िशकायत िनवारण =या 7.कोई अ> य सुसंगत िवषय : : : :बोड का ढांचा

5

शासन ढांचा उपलY ध कराने का प

तकनीक* और जनशि< त

मता वचनबंध

(संगठन क सील/मुहर)

'Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29

मW/हम िधकरण "ारा िविनZद@ ट अधिकारी "ारा, िधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट िनरी/ण/सV यक् तJ परता बरतने को सुकर बनाने का वचनबंध करता □□/हW। हम यह भी घोषणा करते हW क रा@ ग्रीय पशन णाली से संबंधित =याकलाप% म लगाए गए सभी P यि@ टय% के पास आव7 यक सामh य है और उ> ह िनयोजित करने के पूव रा@ ग्रीय पशन णाली से संबंधित उJ तरदायJ व% का समुचित िनवहन सिनि7 चत करने के िलए चालन संबंधी सभी पहलु: म िशि/त कया जाएगा ।तारीख..... (ह8 तार/र)..... नाम....., (.....,क ि8 थित म) € संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 तार/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है ।उपाबंध : : : : 6वलंबन् के िलए कारबार योजना (संगठन क सील/मुहर)

िवशेष =याकलाप, यद कोई ह%, जो रा@ ग्रीय पशनणाली - 8 वावलंबन् को िविभन लिJ यत समूह%/भौगोलक /े2% म ो> नत करने के िलए हाथ म िलए जाएंगे कोई अ> य टbपणी तारीख..... (ह8 तार/र)..... नाम....., (.....,क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 तार/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है । (संगठन क सील/मुहर)

	पाऽता मानदड क* छट/िशिथलीकरण क* िविनयम मसंदभ(खंड सं. और पृ@ ठ सं.)		

1.

तारीख..... (ह8 ता/र)..... नाम....., (.....क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है ।

संकलनकता ारा प"शन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण को संदेय फ*स“पशन िनिध िविनयामक—और िवकास िधकरण” के नाम नई द ली म संदेय फस मांगदेय t।uट के ?प म केवल दस हजार dपए क आवेदन फस आवेदन के साथ भेजी जाएगी । इसके ारा इस बात क मुटु क जाती है क मW/हम “पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण” के नाम नई द ली म संदेय फस मांगदेय t।uट के ?प म मा2दस हजार dपए भेज रहा □□/भेज रहे हW ।

मW/हम यह जानता □□/जानते हW क आवेदन के म6े संदJ त रकम अितदेय है । तारीख..... (ह8 ता/र)..... नाम....., (.....क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है ।

संगठन का नाम मांगदेय O।PT संQ यांक

पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण (संकलनकता)

--	--	--

तारीख

(िविनयम 5 दिखए) िविनयम, 2015 अनुसूची 3

O।PT क* बRक का नाम

(संगठन क सील/मुहर)

(संगठन क सील/मुहर)

रकम

!Hkkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31

1.पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण, पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण अधिनयम, 2013

2.संकलनकताका रिज8 ग्रीकरण कोड.....है । 3.यह रिज8 ग्रीकरण पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण (संकलनकता) िविनयम, 2015 के अधीन तारीख : 8 थान : नई दली

आवरण प2..... संकलनकता अनुपालन प> ना.....उपाबंध 1: िविधक वचनबंध.... उपाबंध 2: ितभूत िन/प वचनबंध.....

(2013 का 23) क धारा 27 क उपधारा (3) "ारा दJ त शिQ तय% का योग करते(ए मैसस(इकाई का नाम) को रा@ ग्रीय पशन णाली – 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता के ?प म रिज8 ग्रीकरण और कारबार ारंभ करने का माणप2 अनुदJ त करता है ।

रिज8 ग्रीकरण माणप2 म िविनZद@ ट शतG के अधीन रहते (ए िविधमा> य होगा । प"शन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण (संकलनकता

.....

पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण रा. िय प"शन णाली [िविनयम 10(2) और (3) दिखए]

वलंबन् के िलए संकलनकता के प म" रिज िकरण माणप\$ (िविनयम 9 दिखए) िविनयम,

संगठन का नाम> सद य> के िलएनवीकरणप2

िवषय-सूची

अनुसूची 4

अनुसूची 5

(प2ग)

के

2015

पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण

रिज8 ग्रीकरण सं.

के िलए और उसक ओर सौधकृत ह8 ता/रीआदेश "ारा

उपाबंध 3 : रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन् काय/मता.....आवरण प\$ (कंपनी के अधिकारक प2क पर उपलYध कराया जाए) सेवा म,

िवषय : रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता के ?प म रिज8 ग्रीकरण के नवीकरण के िलए आवेदन । महोदय/महोदया, मागदशक ि सरांत% तथा अ> य संबंधित िनयम%, मागदशक ि सरांत%/अनुदेश% के अधीन यथाविनZद@ ट िविहत सेवाएं दान करने के िलए “रा@ ग्रीय पशन णाली- 8 वावलंबन्” के अधीन संकलनकता के ?प म अपना रिज8 ग्रीकरण बनाए रखने क वांछा करता □□/करते हW ।2. आव7 यक Y यौरे, समथ द8 तावेज% सहित, इस प2 के साथ, िविनZद@ ट ?प म, हमारे अनुरोध पर िवचार कए जाने के िलए संलp न हW ।3. मW/हम यह जानते हW क िधकरण के पास मेरे/हमारे आवेदन को 8 वीकार करने या उसे नामंजूर करने का अधिकार आरि/त है ।इसके "ारा इस बात क प्ति@ ट क जाती है क मW/हम अपने िनगम/कंपनी/फम/संगठन क ओर से काय करने के िलए हकदार □□/हW और इस प2 तथा अ> य ऐसे प2%/द8 तावेज% पर, जो रिज8 ग्रीकरण के िलए अपि/त ह%, ह8 ता/र करने किलए सशQ त□□/हW ।तारीख..... (ह8 ता/र)..... नाम....., (.....,क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से सहमित प2 पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है ।

इकाई का नाम आवेदन मिलयत सदंभ: िविनयम 3 का

कखग कायपालक िनदेशकपशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरणपहला तल, आईसीएडीआर भवन, 6 लाट सं. 6 वसंत कुंज सं8थागत /े2, फेस- 2, नई द ली - 110070

मW/हम पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण (संकलनकता) िविनयम, 2015 और िधकरण "ारा जारी

कशुR इकाई का नाम और पता संकलनकता अनुपालन प> ना (संगठन क सील/मुहर)आवेदन के नवीकरण क-तासीख के-पचास लाख रुपए या उससे अधिक

<संगठन का नाम> के सद8 य% के िलए

.....

चाटड अकाउ> टट से शुR मिलयत उपलY ध कराया गया है

तारीख.....

(संगठन क सील/मुहर)

का माणप2

°Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33

उपिविनयम (7) इकाई ि8 थित किंवJ तीय	Q-साइकाई को िपछल पाच वषGम कम स कम तीन वषG म हिन (ई ह हा एक करोड़ रुपए के कारबार या उससे अधिक हां नह_			
िविधक वचनबध सदभ: ि विनयम 3 का उपिविनयम (11) पशन िविनयामक िधकरण	िपछल पाच वषG म स कसी म दडादश और अवरोध आदेश नह_ कए गए हW ।कसी िवJ	उम्माबध 1म घोषणा उपलY धकस्ई गई ह उपाबंध 2म		

क अनसिचत नाम िनिध विणि यक म कसी और	तीय सQ टर िविनयामक "ारा या > यायालय "ारा	वचनबंध दया गया है-हां हा नह_ नह_
------------------------------------	--	----------------------------------

िन/ेप/मांगदेय tाुट के ?प म ि तभूत ि न/ेपिपछले पांच वषG का कायदशन और अगले तीन ा योजत ल] यतारीख..... (ह8 ता/र)..... नाम....., (.....,क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है । उपाबंध 1: : : िविधक वचनबंधइसके "ारा इस बात क पु@ ट क जाती है क मW/हम अपनिनगम/कंपनी/फम/संगठन क ओर सेकाय करने के िलए हकदार □□/हW और इस आशय का वचनबंध देने के िलए सशQ त □□/हW क हमारे संगठन/ उसके संवतक%/िनदेशक%पर कसी > यायालय "ारा या कसी ि विनयामक/िनकाय/अनुशासिनक ि धकारी "ारा िपछले पांच वषG के दौरान कोई शा8 त अधशिपत नह_ क गई है और कोई मुख य अव/ेप पारत नह_ कया गया है । तारीख..... (ह8 ता/र)..... नाम....., (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है । वषG के िलए

(.....क ि8 थित म)

उपाबंध 3म िववरण दया गया है

(संगठन क सील/मुहर)

(संगठन क सील/मुहर)

हां नह_

उपाबंध : : : 2 ितभूत िन

ेप वचनबंधइसके "ारा इस बात क पु@ ट क जाती है क मW/हम अपने िनगम/कंपनी/फम/संगठन क ओर से काय करने के िलए हकदार □□/हW और इस आशय का वचनबंध देने के िलए सशQ त □□/हW क मेरी/हमारी सं8 था ितभूत िन/ेप के नवीकरण के समय कसी अनुसूचत विणि यक बWक से साविध िन/ेप, मांगदेय tाुट या बWक J याभूत के ? प म ि तभूत िन/ेप जमा करवाएगी । मW/हम संकलनकता के ?प म नवीकरण कए जाने क तारीख से नए िसरे से ितभूत िन/ेप (यद पूव म जमा नह_ कया गया है) जमा कराने का वचनबंध करता □□/हW और यह क यद पहले सेजमा है तो वह उस अविध तक िविधमा> य बना रहेगा, तJ प7 चात् नए िसरे से ितभूत िन/ेप िधकरण के पास जमा कराया जाएगा ।तारीख..... (ह8 ता/र)..... नाम....., (.....,क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है । (संगठन क सील/मुहर)

िपछले पांच वष के ल] य% का काय दशन बनाम उपलिY धयां उपाबंध : : : 3 वावलबन काय	लS य उपलिJ धवष1 वष2 दशन
िपछले पांच वषG के िलए 8 थिपJ वरा@ ग्रीय पशन णाली - 8 वावलंबन् के िलए अगले पांच वषG क ायोजनाएं	वष4 वष5 मुख य कारबार रा@ ग्रीय पशन णाली - 8 वावलंबन् आवरण वष1 :

तारीख..... (ह8 ता/र)..... नाम....., (.....,क ि8 थित म) (संगठन का नाम और पता).....के िलए और उसक ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से िधकृत है । वष2 : वष3 : वष4 : वष5 :

(संगठन क सील/मुहर)

¹Hkkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 35

1. P यिQ तगत सूचना से अभिमत है और इसके अंतगत है ऐसी कोई सूचना जो कसी अभिदाता से संबंधित है या जिससे अभिदाता क पहचान J य/ ?प से या अJ य/ ?प से कया जाना अनुNात है और इसके अंतगत िनV निलिखत है :

2. संकलनकता-

अभिदाता; को अपनी P यिQ तगत सूचना म उपांतरण करने का भावी अवसर दान करेगा ।3. कोई िवJ तीय सेवा दाता कसी अभिदाता क P यिQ तगत सूचना अ> य प/कार को केवल तभी कट कर सकता है यद- क.ख.ग.घ.ङ. (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)

(क) (ख) (ग)

(घ)

नाम और संपक सूचना ; व् यि@ टय% क दशा म बायोमी9क सूचना ; िवJ तीय उJ पाद% म या उनक अभिधृतय% के संप यवहार% से संबंधित सूचना ; िवJ तीय सेवाएं उपयोग म लाने से संबंधित सूचना ; या ऐसी अ> य सूचना, जो िविनयम% "ारा िविनZद@ ट क जाए ।

उसके ऐसे कटन के िलए अभिदाता से, अभिदाता को ऐसे कटन से इंकार करने का भावी अवसर देने के प7 चात्, िलिखतपूर्व Nात सहमित अभिा त कर ली हो ; अभिदाता "ारा ऐसा कटन कए जाने का िनदेश दया गया है ; पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण ने ऐसे कटन का अनुमोदन कर दया हो या आदेश कया हो और जब तक सुसंगत िविध या िविनयम% "ारा ितिषR न हो, अभिदाता को ऐसे कटन के िवdR ऐसी िविध या िविनयम% के अधीन ितिनिधJ व करने का अवसर दान कया गया है ; ऐसा कटन कसी िविध या िविनयम% के अधीन अपि/त हो और जब तक सुसंगत िविध या िविनयम% "ारा ितिषR न हो, अभिदाता को ऐसे कटन के िवdR ऐसीविध या िविनयम% के अधीन ितिनिधJ व करने का अवसर दान कया गया है ।

कसी अभिदाता से संबंधित P यिQ तगत सूचना रा@ गीय पशन णाली के उपबंध% के िलए अपि/त सीमा से अधिक संगृहीत नह_ करेगा ; अभिदाता; से संबंधित P यिQ तगत सूचना और रा@ गीय पशन णाली के अधीन कसी संप यवहार से संबंधित सूचना क गोपनीयता बनाए रखेगा ; यह सिनि7 चत करने के सवxJ तम यास करेगा क कसी अभिदाता से संबंधित कोई P यिQ तगत सूचना, जो उसके पास है, अुतन और पूण है ; यह सिनि7 चत करेगा क अभिदाता अपनी P यिQ तगत सूचना तक, ऐसे क> ह_ अपवाद% के अधीन रहते (ए, जो पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण "ारा िविनZद@ ट कए जाएं, यिQ तयुQ त प(ंच बना सकेगा ; यह सिनि7 चत करने के िलए क संकलनकता "ारा धारत P यिQ तगत सूचना सही, अुतन और पूण है, पशन िनिध िविनयामक और िवकास िधकरण (संकलनकता) िविनयम, 2015 संकलनकता "ारा P यिQ तगत सूचना का कटन[िविनयम 20(16) दिखए] अनुसूची 6

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2015

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (AGGREGATOR) REGULATIONS 2015

No. PFRDA/12/RGL/139/4.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e), (n), (o), (p) and (w) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely: —

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application.— (1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations, 2015.

The Regulation aims to provide regulatory framework for registration of Aggregators and monitor implementation of National Pension System for the best interest of the target subscribers.

(3) These regulations shall be applicable to the NPS-Lite under National Pension System, (also referred to as NPS-Swavalamban), which is a low-cost, feature optimized group model, aimed at unorganised and economically disadvantaged sections of the society. These regulations shall also be applicable for implementation of Government of India “Swavalamban Scheme” through National Pension System.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);
- (b) “aggregator” means an intermediary registered by the Authority under sub-section (3) of section 27 of the Act, to perform subscriber interface functions under the National Pension System-Swavalamban, which shall have functional relationship with a known customer base for delivery of some socio-economic goods or services;
- (c) “auditor” means a person who is qualified to audit the accounts of a company under section 224 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (d) “citizen of India” means any person qualified to be a citizen of India under the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);
- (e) “company” means any entity formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)
- (f) “compliance officer” means a person of responsibility from an aggregator: designated as such and charged with the responsibility of monitoring compliance by it of the provisions of the Act or the rules or the regulations made or notifications, guidelines, circulars or instructions issued by the Authority, including monitoring of redressal of subscriber grievances;
- (g) “investment guidelines” mean guidelines and circulars issued by the Authority from time to time having regard to applicable investment pattern and limits thereof;
- (h) “National Pension System-Lite” means the scheme under National Pension System providing a feature of optimized group model of National Pension System for persons belonging to unorganized sector of which National Pension System-Swavalamban is a component where Government of India co-contribution is admissible.
- (i) “principal officer means any person who is responsible for the activities of the aggregator and includes—
 - (i) any partner in case of a partnership concern;
- 1Hkkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 37
- (ii) whole-time director, executive director or managing director, in the case of a body corporate;
- (iii) any key employee; and
- (iv) any person designated as a principal officer by the aggregator;
- (j) “Schedule” means schedule annexed to these regulations.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

REGISTRATION OF AGGREGATOR

3. Eligibility criteria for grant of certificate of registration as aggregator.- (1) Subject to the fulfillment of conditions specified under these regulations for grant of certificate of registration, the following entities shall be eligible to be

enlisted as an aggregator under the National Pension System:-

- (a) Nodal offices or entities managing the pension schemes for identified beneficiary groups under the Central and State Governments;
- (b) scheduled banks, Regional Rural Banks and other Financial Institutions;
- (c) India Post;
- (d) Insurance companies;
- (e) Micro-Finance Institutions(MFIs);
- (f) Non Banking Finance Companies (NBFCs);
- (g) Non Government Organizations(NGOs);
- (h) Entities running common service centers under the National E-Governance plan; (i) Housing Finance Institutions;
- (j) Any other category as may be specified by the Authority from time to time.

(2) Apart from the Central and State Government entities mentioned at clauses (a) and (c) of sub-regulation (1) the entities desirous of taking on the role of an aggregator shall be required to be registered under a Central or State enactment, namely:-

- (a) Societies Registration Act, 1860(21 of 1860) (including with States amendments of this Act);
- (b) Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882);
- (c) Charitable and Religious Trusts Act, 1920 (14 of 1920);
- (d) Companies Act, 1956 (1 of 1956) (Section 25, for registration of charitable or other company);
- (e) Companies Act, 1956 (1 of 1956) [with necessary certification from the Reserve Bank of India (for Non Banking Finance Companies (NBFCs), Micro-Finance Institutions (MFIs))];
- (f) Companies Act, 1956 (1 of 1956) (1 of 1956) or Companies Act, 2013 for any other Company; (g) Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);
- (h) entities created by State or Central Government for any specified group of beneficiaries;
- (i) entities regulated by National Housing Bank;
- (j) any other Act or rule as may be specified by the Authority from time to time.

(3) Any other entity or class of entities, not covered under the provisions of sub-regulation (2), may be registered, if in the opinion of the Authority such entity or class of entities facilitates inclusion of their subscriber base under the National Pension System-Swavalamban and which have established capability with proven track record in the area of their operation.

(4) The entity shall have been in business of financial services or financial products for at least five years as on date of application with a proven track record. The entity shall be financially viable and shall not have incurred loss in at least three years of the past five years immediately preceding the date of application, and shall not have also incurred cash losses in the immediately preceding two years on the date of application.

(5) The entity shall have formal governance structure (board, managing committee or equivalent) with members on board having adequate experience in financial services or social development. The board, managing committee or equivalent shall adhere to the provisions contained under the respective Acts, rules or regulations governing such entities as mentioned against them in sub-regulation (2).

(6) The entity shall be required to have an audit committee or equivalent mechanism under the rules or regulations made under the enactment under which it is functioning.

(7) The entity shall meet the following net worth criteria:-

- (a) rupees One Crore for those having been in business for more than five years;
- (b) for entities having exceptional track record and more than ten years of experience, the net worth criteria may be relaxed to rupees. Fifty Lakh in deserving cases, as may be deemed fit by the Authority.
- (8) The entity shall have capability to manage large customer data base suitable to their organization and meet other technology parameters as may be specified by the Authority from time to time.
- (9) The entity shall have trained staff with sufficient capability as may be specified by the Authority from time to time.
- (10) The entity shall have cash pooling and remittance capabilities as may be specified by the Authority from time to time.
- (11) There shall be no convictions and restraint orders passed by any financial sector regulator or by the court of law in any of the preceding five years. In case of any doubt or conflict on this count and pertaining to the application of registration, the decision of the Authority shall be binding.
- (12) The entity shall provide the business plan to extend the scheme to their underlying subscribers
- (13) The Authority may, as it may deem fit, relax some, or all of the eligibility criteria in case-of entities which are fully or partly controlled by either the Central or any State Government or have been created under any specific arrangement of the Central or State Government or any other entity with proven track record, on a case to case basis, as may be considered necessary in subscribers' interest or for the development of the National Pension System or the pension sector in the country.
- (14) The entity shall have to meet any other criteria as may be specified by the Central Government or the Authority from time to time in the form of resolutions, notifications, circulars, guidelines or memoranda.

4. Application for registration. – (1) On and from the date of commencement of these regulations, an applicant meeting the eligibility criteria as specified in these regulations for grant of a certificate of registration as an aggregator shall make an application to the Authority along with a non-refundable application fee in Form A as specified in Schedule I or Form B as specified in Schedule II of these regulations.

(2) An application, not complete in all respects and not conforming to the instructions specified in the Form A as specified in Schedule I or Form B as specified in Schedule II of these regulations shall be liable to be rejected:

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity to complete the application in all respects and rectify the errors, if any.

(3) Any Aggregator, which was granted a permission to function as such by the interim Pension Fund Regulatory and Development Authority prior to the establishment of the Authority under the Act may continue to act as such for a period of ninety days from the notification of these regulations or, if it makes an application for grant of registration within ninety days of notification of these regulation, till the disposal of its application by the Authority.

¹Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 39

5. Application fee. -The applicant shall submit a non-refundable application fee of rupees ten thousand towards application and administrative fee for processing of application. The application fee shall be paid to the Authority in the manner specified in schedule III. The Authority may, for reasons to be recorded in writing, waive the requirement for payment of application fee in specific and deserving cases.

6. Disclosure of information.— (1)The Authority shall have the right to disclose to the public, the information on such application made by the applicant by placing such information on the website as specified by the Authority:

Provided that the other relevant information furnished by the applicant and which relates to commercial confidence and private information of the applicant, which it may state as confidential, may not be disclosed by the Authority, subject to the provisions of any law or rules or regulations or any order or decision pronounced by a court of law or tribunal, as the case may be, mandating such disclosure.

(2) Any material change in the information furnished or placed on a website under these regulations shall be intimated to the Authority by the applicant promptly but not later than fifteen days of the occurrence of such change.

7. Furnishing of information clarification and verification - (1). The Authority may require an applicant to furnish any further information or clarification for the purpose of disposal of the application for grant of certificate of registration, and, thereafter, in regard to any other matter as may be deemed necessary by the Authority. The applicant or its principal officer shall, if so required, appear before the Authority for a personal representation in connection with such application.

(2) The applicant shall furnish such information and clarification to the satisfaction of the Authority, within the time specified in this regard by the Authority.

(3) While considering the application, the information furnished by the applicant and its eligibility, the Authority may, if it so desires, verify the information by physical verification of documents and office space or inspect the availability of office space.

(4) For the purpose under sub-regulation (3), the Authority may appoint any person including an auditor.

8. Consideration and evaluation of application. –(1) For considering the eligibility of the applicant and grant of certificate of registration to such applicant, the Authority shall take into account all matters which it deems relevant to the pension sector and National Pension System- Swavalamban, including but not limited to the following -

(a) whether the applicant has in the past five years been subjected to any major inquiry proceedings or investigation under the Acts, rules, regulations and bye-laws of any regulator or other authority, as may be applicable;

(b) whether the applicant satisfies the eligibility criteria and other requirements specified in these regulations;

(c) whether the grant of a certificate to the applicant is in the interest of the subscribers.

During the course of considering the application under this sub-regulation, the Authority may, if it deems fit, invite the applicant to make a presentation to it at a date, time and place determined by it. The purpose of such presentations would be to allow the applicant to present its proposal to the Authority and to apprise it the key strengths in its proposal.

(2) Any application for grant of certificate of registration,-

(a) which is not complete in all respects and does not conform to the eligibility Criteria specified in these regulations;

(b) which does not contain such additional information as may be required by the Authority;

(c) which is incorrect, false or misleading in nature;

(d) where the applicant is not in compliance with the eligibility requirements specified under these regulations;

(e) which in the opinion of the Authority is not in the interest of subscribers or the objective of orderly development of pension sector or the National Pension System;

(f) where the applicant is not a fit and proper person as stated in Form A as specified in Schedule I or in Form B as specified in Schedule II of these regulations; shall be rejected by the Authority for reasons to be recorded in writing by the Authority.

(3) Before rejecting an application, the applicant shall be given an opportunity in writing to make good the deficiencies within the time specified for the purpose by the Authority:

Provided that where an application is rejected for the reason that it contains false or misleading information, no such opportunity may be given and the applicant shall not make any application for grant of certificate under these regulations or any other regulations for a period of one year from the date of such rejection.

(4) For the applicant, who satisfies all the eligibility condition after initial evaluation, the Authority shall conduct a due diligence at the applicant's office at such date and time as may be determined by the Authority.

(5) The Authority may, for the purpose of sub-regulation (4), appoint any person to conduct such due diligence, but not limited to its officers.

(6) An application for grant of certificate of registration, under this regulation, which is complete in all respects, shall be disposed of by the Authority, within a period of sixty days from the date of receipt of such application.

9. Grant of certificate of registration (1) The Authority on being satisfied that the applicant is eligible, shall grant a certificate of registration in the form specified in Schedule IV and send intimation to the applicant in this regard:

Provided that the applicant has submitted the one-time registration fee of rupees twenty-five thousand before a certificate of registration is granted. The Authority may, for reasons to be recorded in writing, waive the requirement for payment of registration fee in specific and deserving cases. Further where a proceeding is pending before the Authority or any court or tribunal, and the result of such proceeding may result in suspension or cancellation of the certificate, the Authority may give a conditional registration.

(2) Subject to compliance with the provisions of the Act, rules and regulations, the certificate of registration granted to an aggregator shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority.

10. Grant of certificate of registration subject to conditions.- (1) Any certificate granted by the Authority to an aggregator shall be subject to the following conditions, namely:—

(a) where the intermediary proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Authority for continuing to act as an aggregator after such change in status or constitution;

(b) it shall pay the applicable fees in accordance with the relevant regulations;

(c) it shall keep a security deposit of such amount with the Authority, as may be specified for due discharge of its obligations;

(d) it shall abide by the provisions of the Act, rules, regulations, directions, guidelines and circulars as may be issued by the Authority from time to time;

(e) it shall abide by all the conditions and requirements as may be specified by the Government of India in relation to operation of the National Pension System- Swavalamban scheme;

(f) it shall meet the eligibility criteria and other requirements specified in the relevant regulations;

(g) it shall execute such agreements as may be deemed necessary with other intermediaries under the National Pension System or with any other person for effective discharge of its obligations:

Provided that the Authority or the Government of India may impose such other and further conditions as it may deem fit in the interest of subscribers or for orderly growth of the National Pension System.

1Hkkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 41

(2) An aggregator shall, within ninety days before the expiry of five years from the date of registration or date of the payment of renewal fee last accepted by the Authority, make an application in the specified form together with a renewal fee of rupees twenty-five thousand. The Authority may, for reasons to be recorded in writing, permit renewal fee to be paid beyond the specified period, subject to payment of additional fee of rupees one thousand per month. However, no application for extension of time for payment of renewal fee shall be entertained beyond ninety days from the specified date:

Provided that the Authority may, for reasons to be recorded in writing, waive the requirement for payment of renewal fee in specific and deserving cases.

(3) The application to be filed for payment of renewal fee by an aggregator shall be in the form specified in Schedule V of

Form C.

11. Effect of refusal to grant of certificate of registration.- (1) Where, on and after the commencement of these regulations, an aggregator referred to in sub-regulation (3) of regulation 4 has failed to obtain registration, or an existing aggregator has not obtained or, has been refused the renewal of certificate (or permission) under these regulations, or has surrendered its certificate or permission or, has been directed to be wound up by an order of a court, such aggregator shall-

(a)forth with cease to act as an aggregator;

(b)transfer its activities to another aggregator which has been granted a certificate of registration as an aggregator and allow the subscribers to move to the other aggregator as directed by the Authority;

(c)make provisions for liability incurred or assumed by the aggregator, if any;

(d)take such other action, within such time limit and in such manner as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority.

(2) while refusing grant or renewal of certificate of registration, as the case may be, under these regulations to an existing aggregator, the Authority may impose such conditions upon such entity as it deems fit for protection of the interest of subscribers of the aggregator and such conditions shall be complied with.

12. Aggregator to submit security deposit.- (1) Each entity registered as an aggregator shall be required to submit a security deposit equivalent to one per cent of its net worth or rupees five lakh, which ever is higher. The maximum security deposit shall not exceed rupees twenty lakhs. The security deposit may be in the form of a demand draft, a bank guarantee from a scheduled commercial bank or in any other form as may be specified by the Authority from time to time.

(2) No aggregator shall commence with the process of subscriber registration until it has deposited the security deposit referred to in sub-regulation (1) with the Authority.

(3) In the event, the Authority is of the prima facie opinion that the aggregator is unable to perform or comply with its obligations under the conditions of certificate of registration or has committed violation of any provisions of the Act, rules or regulations, the Authority may direct the invocation of the security deposit as an interim measure, pending any inquiry or investigation against such aggregator. The proceeds of the security deposit shall be utilized for the protection of interest of the subscribers under the said aggregator in such manner as may be deemed fit by the Authority. This shall be besides any other action which may be taken by the Authority against the aggregator under the provisions of the Act, rules and regulations.

(4) Where the security deposit has been invoked, as provided under sub-regulation (3) the Authority may direct the aggregator to furnish additional security deposit and the aggregator shall provide the same for due performance of its obligations.

13. Revenue model for aggregator.-

(1) The aggregator shall not be authorized to collect any sum from the subscriber towards their own fee or service charges.

(2) The aggregator shall receive a fixed sum after each completed year of business or at any interval as may be specified by the Authority from time to time and the same shall be decided on a “Subscriber Acquisition cum Retention Model” approved by the Authority.

(3) The remuneration shall be based on each individual subscriber who becomes eligible to receive Swavalamban co-contribution under the scheme during the year. The eligibility condition under Swavalamban scheme shall be decided by the Government of India from time to time.

(4) The remuneration shall be paid by the Authority to each aggregator based on claim submitted by them and verified by the Authority. Procedure for preference of claim, its verification and consequent payment shall be as may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER III

DUTIES AND FUNCTION OF AGGREGATOR

14. Role and responsibility of aggregator.- (1) The aggregator shall have the following duties, namely:-

(a) promotion of National Pension System and awareness about the need for old age income security among its constituent group members;

(b) compliance with the ‘Know Your Customer’ requirements in respect of potential subscribers under the National Pension System;

(c) Know Your Customer requirements in case of National Pension System–Swavalamban subscribers, shall be as may be specified by the Authority from time to time;

(d) Discharge of responsibilities, relating to transfer of fund and data upload, within such time limit as may be specified from time to time;

(e) Collection of contributions from subscribers and ensuring its remittance to Trustee Bank;

(f) aggregator shall issue a receipt to the subscriber at the time of collection of fund and proper reconciliation for the same shall be done by the aggregator;

(g) ensuring availability of services to its underlying subscribers as mandated under National Pension System–Swavalamban;

(h) handling grievances received from subscribers and their resolution in accordance with the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015;

(i) dispatch of Permanent Retirement Account Number Card and statement of transaction or any other document to the

(j) subscribers within the time limits as specified by the authority from time to time;

(k) any other responsibility as may be assigned to the aggregator, by the Authority to ensure protection of subscribers' interest;

(l) aggregator shall update its website on periodic basis to provide updated information on National Pension System-Swavalamban to subscribers.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1), the following fund collection function shall be performed by the aggregator:—

(a) the aggregator shall ensure that credible collection infrastructure is available for its underlying subscribers;

(b) each aggregator will open a collection account in the name of “National Pension System – Name of the aggregator –Collection Account – National Pension System Trust” for which the concerned aggregator has to obtain the necessary approval and documentation from National Pension System Trust. Guidelines on mode and method of operation of such account shall be specified by the Authority from time to time;

(c) the amount collected by the ‘National Pension System collection Centers’ shall be regularly transferred to the designated account of the aggregator as per turnaround time specified by the Authority;

(d) the oversight office of the aggregator and its compliance officer shall ensure necessary vigil and due diligence on the entire fund collection process and shall remain responsible for the same;

!Hkkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 43

(e) all defaults in the cash collection and transfer process causing loss to the subscribers shall be made good by the aggregator in the first instance failing which the same will be made good from the security deposit of the respective aggregator or remuneration due to them, if any.

(3) Each aggregator shall enter into agreement with the National Pension System Trust for all operation and other requirement as may be specified from time to time and submit the compliance certificate to National Pension System Trust at regular intervals.

15. Investment options under National Pension System–Swavalamban.—The following investment options shall be available under the National Pension System-Swavalamban:-

(a) The Authority may, at its discretion and in the interest of subscribers, specify a pre- defined set of asset classes for investment.

(b) The subscriber shall have the option to choose the investment mix and Pension Fund through the Aggregator.

(c) The option to change the Pension Fund shall be available at a defined periodicity and in the manner to be specified by the Authority.

16. Engagement of facilitator.—(1) An aggregator may, at its discretion engage services of another approved aggregator as a ‘facilitator’ to operationalise National Pension System-Swavalamban for the target groups.

(2) A facilitator may be any organization or entity engaged in the financial services or financial products sector and shall be registered with any financial sector regulator in India. Nodal offices or entities running certain schemes for identified beneficiary groups under the Central and State Governments may also be engaged as a facilitator.

(3) No individual shall be registered as a facilitator, except business correspondent whom banks may at their discretion engage as a facilitator.

(4) The terms and conditions of engagement between the aggregator and facilitator for specifying the scope of its functions, responsibility and mutual liabilities arising out of National Pension System-Swavalamban shall be decided through a formal memorandum of understanding or contract. The aggregator which engages the facilitator shall continue to be responsible to ensure system and operational level discipline by the facilitator.

(5) An aggregator shall be responsible for all acts of omission and commission by the facilitator.

17. Appointment of Compliance officer.—(1) Every aggregator shall appoint a compliance officer, from amongst its senior management level officers, who shall be responsible for monitoring compliance by the aggregator of the provisions of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines or instructions issued by the Authority.

(2) The compliance officer shall immediately and independently report any non-compliance observed by him to the Authority.

18. Maintenance of books and records.—Every aggregator shall keep the following books of accounts:-

(a) details of subscriber registration forms received and submitted to the central recordkeeping agency for registration and Permanent Retirement Account Number data generated for all such applicants;

(b) details of money received from the subscribers – in cash, Demand Draft, cheque or in authorised form of remittance;

(c) details of cash held on a daily basis;

(d) details of subscriber-wise money remitted to the Trustee Bank,;

(e) details of subscriber-wise instructions sent to the central recordkeeping agency,;

(f) detail of grievance received and redressed;

(g) details of subscriber services requests such as modification or updation of subscriber request i.e. name change request, subscriber claim applications and their onward transmission to the central recordkeeping agency;

(h) any other details as may be specified by the Authority from time to time.

19. General obligation. –

An aggregator shall provide to the Authority a certificate duly signed by its compliance officer on annual basis within thirty days of closure of accounts for the financial year. certifying-

(a) the compliance by the aggregator with all the obligations, responsibilities and the fulfillment of the eligibility criteria on a continuous basis under these regulations and the relevant regulations that all disclosures made in form A or form B and under the relevant regulations are true and complete;

(b) each aggregator prominently displays a copy of the certificate at all its registered offices;

(c) the aggregator also prominently displays the name and contact details of the compliance officer to whom complaint may be made in the event of any subscriber grievance.

20. Code of conduct.—The aggregator shall continuously abide by the code of conduct specified below:—

(1) the aggregator shall avoid conflicts of interest in managing the affairs of the National Pension System -- Swavalamban subscribers and keep the interest of all subscribers paramount in all matters. In case of any conflict between the interests of a subscriber and that of the aggregator or its representative, precedence may be given to the subscribers' interests.

(2) the subscriber shall be provided with updated information on National Pension System-Swavalamban through fair disclosure mechanism as may be prescribed by the Authority from time to time to enable informed decision making by the subscriber. Conditions of such disclosures will be in the form, periodicity and in the manner specified by the Authority from time to time. The aggregator shall ensure that it has not given any undue or unfair advantage to any associates, facilitator or any entities in any manner detrimental to interest of the subscribers;

(3) the aggregator shall maintain high standards of integrity and fairness in all its dealings and in conduct of their business. It shall render at all times high standards of service, exercise due diligence which implies standard of skill and care that is commensurate with the honest market practice, good faith, profile of subscriber, the extent of dependency of the subscribers on the aggregator and exercise independent professional judgment;

(4) the aggregator is prohibited from indulging in unfair conduct i.e. an act of omission that significantly impairs or is likely to significantly impair the ability of a subscriber to make an informed transactional decision and shall include conduct that is misleading or abusive while dealing with subscribers in—

(a) providing the subscriber with inaccurate information or information in relation to determinative factor that the aggregator doesn't believe to be true : or

(b) providing accurate information to the subscriber in a manner that is deceptive;

(c) in determining whether the conduct is misleading under this regulation, the following factors shall be considered to be determinative factors:—

(i) the aggregator shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, either about their qualifications or capability to render services or its achievements;

(ii) the aggregator shall ensure dissemination of accurate, explicit and timely information/data fairly presented in a simple language as may be specified by the Authority from time to time;

(iii) the aggregator shall follow best practices for maintaining books of accounts and records, systems, procedures, risk management systems and safeguards so as to ensure that the affairs are conducted in a manner which is in the best interest of the subscribers;

(d) the main characteristics of National Pension System –Swavalamban including its features, benefit and risk to the subscribers;

(e) the subscriber needs for National Pension System-Swavalamban or its suitability for the subscriber;

(f) right of the subscribers under any law or regulation

¹Hkkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 45

(5) the aggregator shall ensure that—

(a) systems are in place in all its concerned offices;

(b) key personnel including operational and compliance officer are in place at all times. The contact details of such persons shall be provided to the Authority within fifteen days of the registration;

- (c) aggregator shall ensure that its employees and key personnel are trained to promote National Pension System-Swavalamban;
- (d) audit of Aggregator related functions are included in the audit protocol of the organization;
- (6) compliance officer is entrusted with a responsibility for monitoring the compliance with rules and regulations, notifications, guidelines or instructions issued by the Authority including for redressal of subscribers grievances;
- (7) a compliance manual and internal control mechanisms including internal audit systems are in place;
- (8) The aggregator shall not be authorized to collect any sum from the subscribers towards their own fee or service charges;
- (9) the aggregator shall ensure a credible system of fund collection from the underlying subscriber;
- (10) the National Pension System- Swavalamban subscriber's complaint reports shall be subject to periodic review or audit to ensure compliance to the Authority's regulations and guidelines;
- (11) the aggregator shall ensure proper and prompt compliance and assistance to the officers of the Authority or the auditors or any persons appointed by Authority for any inspection of the books of account, records, documents and infrastructure, systems and procedures or to investigate the affairs of the scheme;
- (12) the aggregator shall ensure that its authorized branches including but not limited to collection center shall also comply with the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (17 of 2003) and the rules framed there under, or any other law, as may be specified from time to time;
- (13) the aggregator agrees that in the event of any delay on the part of aggregator in completing different activities as envisaged or stipulated in detail in the service standards for aggregator provided under this regulation, it shall compensate the subscriber, with for such a period of delay., for failure in observance of its duties and responsibility under this regulation;
- (14) the aggregator shall establish adequate procedures and facilities to ensure that its records are protected against loss or destruction and arrangements have been made for maintaining back up facilities;
- (15) the aggregator shall make adequate arrangements for indemnifying the subscribers for any loss that may be caused to such subscribers by the wrongful act, negligence or default of the employees of aggregator;
- (16) aggregator shall follow the regulation on non disclosure of personal information as specified in Schedule VI.

CHAPTER IV

INSPECTION AND AUDIT

21. Inspection and audit.—(1) The Authority may undertake directly or through its authorized representative an inspection and audit of books, accounts, records including the telephone records and electronic records and documents of the aggregator for any purpose, including the purposes as specified under this regulation.

(2) the purposes referred to in sub-regulation (1) may include:—

- (a) to ascertain the infrastructural capabilities, systems and procedures;
- (b) to ensure that the books of account, records including telephone records and electronic records and documents are being maintained in the manner required under these regulations;
- (c) to ascertain whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by the aggregator;

(d) to ascertain whether the provisions of the Act or the regulations made or circulars, guidelines or notifications issued by the Authority are being complied with;

(e) to inquire into the complaints received from subscribers, nodal offices, intermediaries or any other person on any matter having a bearing on the activities assigned by the Authority to the aggregator;

(f) to inquire *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of subscribers.

(3) The Authority may, appoint one or more authorized representatives or, appoint a qualified auditor to undertake the inspection or audit referred to in sub-regulation (I).

Explanation.-For the purposes of this sub-regulation, the expression “qualified auditor” shall have the meaning derived from section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

22. Notice before inspection and audit.- (1) Before undertaking an inspection or audit under regulation 21, the Authority or its authorized representative shall give ten working days notice to the concerned aggregator:

Provided that no notice shall be required if the Authority is satisfied that an inspection or audit is required for immediate safeguarding of the interest of the subscribers.

(2) During the course of an inspection, the aggregator against which the inspection and audit is being carried out shall be bound to discharge its obligations provided in these regulations.

23. Obligations of aggregator on inspection and audit.- (1) It shall be the duty of the aggregator the affairs of which is being inspected or audited, and every director, officer and employee thereof, to produce to the Authority or its authorized representative or auditor, such books, accounts, records, and other documents in its custody or control and furnish it or him with such statements and information relating to the activities entrusted to it by the Authority, as it may require, within such reasonable period as may be specified.

(2) The aggregator shall allow the Authority or its authorized representative, or auditor to have a reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the aggregator or such other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the Authority or its authorized representative or auditor are relevant for the purpose of the inspection or audit.

(3) It shall be the duty of the aggregator to give to the Authority or its authorized representative all assistance in connection with the inspection and audit which the Authority or its authorized representative may reasonably require.

24. Submission of report.- (1) On completion of the inspection or audit, a report shall be submitted to the Authority, which after consideration of the report, may take such action as it may deem fit and appropriate in the interest of the subscribers.

(2) The Authority may *suo motu*, or after consideration of the inspection report, as the case may be, order an investigation or inquiry to be conducted in the matter.

25. Payment of inspection and audit fees.- The Authority shall be entitled to recover from the aggregator such expenses incurred by it for the purposes of inspection or audit undertaken by it directly or through its authorized representative.

26. Inspection and audit by National Pension System Trust.—(1) The National Pension System Trust shall undertake directly or through its authorized representative, inspection or audit or both of the aggregator, on an annual basis or at such other period as may be specified by the Authority in relation to operational Service Level

Agreements in accordance with the provisions of Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015. The aggregator shall allow the National Pension system Trust, or its authorized representative to have a reasonable access to the premises occupied by it, books of accounts, records and provide necessary information as may be required by it for the purpose of such inspection or audit, as the case may be.

¹Hkkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 47

CHAPTER V

SUSPENSION OR CANCELLATION OF CERTIFICATE AND ACTION IN CASE OF DEFAULT.

27. Cancellation or suspension of certificate of registration.—(1) Where any aggregator, which has been granted a certificate of registration—

- (a) fails to comply with any conditions subject to which a certificate of registration has been granted to it;
- (b) contravenes any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made or guidelines, notifications, directions, instructions or circulars issued by the Authority there under;
- (c) indulges in unfair trade practices or conducts its business in a manner prejudicial to the interests of the subscribers;
- (d) fails to furnish any information as required by the Authority relating to its area of operations;
- (e) does not submit periodical returns as required under the Act or by the Authority;
- (f) does not co-operate in an inquiry conducted by the Authority;
- (g) fails in the periodic review of its performance in terms of number of new subscriber registrations done by the aggregator in relation to the business plan submitted at the time of registration or against any other uniform criteria applicable to all the registered aggregator;
- (h) commits any acts of defaults as mentioned under section 28 of the Act,

the Authority may, without prejudice to any other action which may be taken under the Act, regulations, directions, instructions or circulars issued there under, by order take such action in the manner provided under these regulations including suspension or cancellation or withdrawal of the certificate of registration of an aggregator and such other action, as may be deemed appropriate.

(2) An aggregator once registered shall have to ensure that the eligibility conditions as mentioned in these regulations are strictly adhered to during the entire currency of the registration period and any extension thereto, failing which the certificate of registration may be cancelled. A certificate evidencing compliance with the eligibility conditions shall have to be furnished by the registered aggregator to the Authority on annual basis within thirty days of closure of accounts for the financial year.

(3) No order of cancellation, suspension or withdrawal of certificate of registration granted to an aggregator shall be made unless the aggregator has been afforded a reasonable opportunity of hearing.

28. Surrender of any certificate of registration.—(1) Any aggregator, who has been granted a certificate of registration under the Act or the regulations made there under, desirous of giving up its activity and surrendering the certificate of registration, may make a request for such surrender to the Authority.

(2) While disposing of a request under these regulations, the Authority may require the concerned aggregator to satisfy the Authority of such factors as it deems fit, including but not limited to the following: –

- (a) the arrangements made by the aggregator at its own costs and expenses for maintenance and preservation of records and other documents required to be maintained under the Act, regulations and guidelines;
 - (b) redressal of subscriber grievances as per the provisions of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015;
 - (c) transfer of records, funds or securities of the subscribers at its own cost and expenses to another aggregator as specified by the Authority;
 - (d) the arrangements made by it for ensuring continuity of service to the subscribers;
 - (e) defaults or pending actions, if any.
- (3) While accepting the surrender request, the Authority may impose such conditions upon the aggregator as it deems fit for the protection of interest of the subscribers of the National Pension System and the aggregator concerned shall comply with such conditions.
- (4) No aggregator shall be permitted to surrender its certificate, in respect of which any action for default has been initiated or has been contemplated by the Authority.

29. Effect of suspension, cancellation or surrender of certificate of registration.—(1) On and from the date of suspension or cancellation of the certificate, the concerned aggregator shall-

- (a) not undertake any assignment or collect money or information from the subscriber. During the period of such suspension, it shall cease to carry on any activity in respect of which the certificate of registration had been granted;
- (b) allow its subscribers to transfer, as the case may be, their money or assignments or allow the National Pension System Trust to withdraw any assignment given to it, without any additional cost;
- (c) make provisions as regards liabilities incurred or assumed by it;
- (d) take such other action including the action relating to any records or documents and information or money of the subscribers that may be in the custody or control of such aggregator, within the time limit and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority, while passing the order under these guidelines or otherwise.

(2) On and from the date of surrender or cancellation or suspension of the certificate of registration, the concerned aggregator shall—

- (a) return the certificate of registration so cancelled to the Authority and shall not represent itself to be a holder of the certificate of registration for carrying out the activity for which such certificate had been granted;
- (b) cease to carry on any activity in respect of which the certificate had been granted;
- (c) transfer its activities to another aggregator, as directed by the Authority, holding a valid certificate of registration to carry on such activities and allow its subscribers to transfer their funds to the transferee entity, without any additional cost;
- (d) make provisions as regards liability incurred or assumed by it;
- (e) take such other action including the action relating to any records or documents and assets of the subscribers that may be in the custody or control of such aggregator, within the time limit and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority while passing order under these guidelines or otherwise

30. Cancellation or suspension of certificate of registration.—Where any aggregator which has been granted a certificate of registration under these regulations—

- (a) fails to comply with any of the conditions subject to which a certificate of registration has been granted to it;
- (b) contravenes any of the provisions of the Act or regulations or direction or circulars issued there under;

the Authority may, without prejudice to any action under the Act or regulations or directions or circulars there under, by order take such action in the manner provided under these regulations.

31. Appointment of designated authority.— (1) Where it appears to the designated member, that the aggregator or any other concerned person has committed any default of the nature specified in regulation 27, he may appoint an officer not below the rank of a Chief General Manager or any other officer of an equivalent rank as a designated authority.

(2) No officer who has conducted investigation or inspection in respect of the alleged violation shall be appointed as a designated authority.

32. Issuance of notice.— (1) The designated authority shall, if he finds reasonable grounds to do so, issue a notice to the aggregator or any other concerned person requiring it to show cause as to why the certificate of registration granted to it, shall not be suspended or cancelled or why any other action provided herein shall not be taken.

¹Hkkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 49

(2) Every notice under sub-regulation (1) shall specify the contravention alleged to have been committed by the noticee indicating the provisions of the Act, regulations, directions or circulars in respect of which the contravention is alleged to have taken place.

(3) There shall be annexed to the notice issued under sub-regulation (1) copies of documents relied on in making of the imputations and extracts of relevant portions of documents, reports containing the findings arrived at in an investigation or inspection, if any, carried out.

(4) The noticee shall be called upon to submit within a period to be specified in the notice, not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, a written representation to the designated authority.

33. Reply by noticee.— (1) The noticee shall submit to the designated authority its written representation within the period specified in the notice along with documentary evidence, if any, in support thereof:

Provided that the designated authority may extend the time specified in the notice for sufficient grounds shown by the noticee and after recording reasons of extension in writing.

(2) If the noticee does not reply to the show-cause notice, within the time granted for the purpose, the designated authority may proceed with the matter *ex parte* recording the reasons for doing so and make his recommendations as the case may be on the basis of material facts available before him.

34. Action in case of default.— After considering the representations, if any, of the noticee, the facts and circumstances of the case and applicable provisions of the Act, regulations, directions or circulars administered by the Authority, the designated authority shall submit a report, where the facts so warrant, recommending,—

- (a) suspension of certificate of registration for a specified period;
- (b) cancellation of certificate of registration;
- (c) prohibiting the noticee to take up any new assignment or contract or launch new scheme for the period specified in the order;

(d)debaring a principal officer of the noticee from being employed or associated with any registered intermediary or other registered person for the period specified in any registered intermediary or other registered person for the period specified in the order;

(e)debaring a branch or an office of the noticee from carrying out activities for the specified period;

(f) warning the noticee.

35. Procedure for action on recommendation.- (1) On receipt of the report recommending measures from the designated authority, the designated member shall consider the same and issue a show cause notice to the noticee enclosing a copy of the report submitted by the designated authority calling upon the noticee to submit its written representation as to why the action, including passing of appropriate direction, shall not be taken.

(2) The noticee may, within twenty-one days of receipt of the notice send a reply to the designated member who may pass appropriate order after considering the reply, if any received from the noticee and providing the person with an opportunity of being heard, as expeditiously as possible and endeavor shall be made to pass the order within one hundred and twenty days from the date of receipt of reply of the notice or hearing.

(3) The designated member may pass a common order in respect of a number of noticees where the subject matter in question is substantially the same or similar in nature.

36. Intimation of order.—(1) Every report made by the designated authority and every order passed by the designated member under these regulations shall be dated and signed.

(2) A copy of the order passed under these regulations shall be sent to the aggregator or other concerned person and also placed on the website of the Authority.

37. Penalty and adjudication.—The imposition of penalty, if any, on the aggregator or person concerned shall be in accordance with the provisions of the Act and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for inquiry by adjudicating officer) Regulations, 2015.

38. Appeals to Securities Appellate Tribunal.—The aggregator or any person concerned to the proceedings may if aggrieved by any order passed by the designated member prefer an appeal before the Securities Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 36 of the Act.

Explanation.- For the purposes of this Chapter, the expression,—

(a)“designated authority” means an officer of the Authority appointed under sub- regulation (1) of regulation 31;

(b)“designated member” means the Chairperson or a whole-time Member of the Authority designated for the purpose.

(c)“noticee” means the person to whom a notice has been issued under this Chapter.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

39. Reports and disclosures. - The aggregator shall furnish or provide such reports and disclosure to Authority as it may specify or require from time to time.

40. Confidentiality.-The aggregator shall maintain absolute confidentiality with respect to all records, data and information received by it under the National Pension System- Swavalamban. The aggregator shall not, without the prior permission of the Authority, produce or share such data or information as evidence, or for any other purpose, except as required by the due process of law.

41. Directions.-Without prejudice to any order under Chapter V of these regulations, the Authority may, in the interest of the subscribers or for the purpose of securing the proper management of aggregator, issue, necessary direction including but not limited to any or all of the following: -

(a) directing the aggregator to refund any contributions or money collected from the subscribers under National Pension System-Swavalamban scheme with or without interest;

(b) any other direction which the Authority may deem fit and proper in the circumstances of the case: Provided that before issuing any directions the Authority shall give to the persons concerned a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that if the circumstances warrant that any interim direction is required to be passed immediately, the Authority shall give to the persons concerned a reasonable opportunity of being heard after passing the direction, without any undue delay.

42. Power of the Authority to issue clarifications.-In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Authority may issue clarifications and guidelines in the form of circulars, notifications or guidelines.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson [ADVT-III/4/Exty./203/14] SCHEDULE I

FORM A

Pension Fund Regulatory and Development

Authority (aggregator) Regulations, 2015

[See regulation 4 (1) & (2)]

Application form for grant of certificate of registration

for Government entities

FOR REGISTRATION AS “AGGREGATOR”

UNDER NATIONAL PENSION SYSTEM (NPS) - SWAVALAMBAN

FOR MEMBERS OF

<ORGANIZATION NAME>

'Hkkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 51

Table of Contents

Covering Letter

Aggregator Compliance Sheet for Government or Government Sponsored Agencies

Annexure 1: Details of Customer Base and Services Rendered

Annexure 2: Commercial Undertaking

Annexure-3: Declaration of Details of Consortium Partner

Covering letter

(to be provided on company/official letter head)

Date DDth Month, YYYY

To

XYZ

Executive Director

Pension Fund Regulatory Development Authority

1st Floor, ICADR Building, Plot No 6

Vasant Kunj Institutional Area

Phase-II, New Delhi-110070

Sub:-Application for Registration as aggregator under National Pension System -Swavalamban
for members of <Organization Name>

Dear Sir/Madam,

I/we, the undersigned, have examined and familiarized myself/ourselves with Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations, 2015” and “Operating Guidelines for aggregators” specified by the Authority.

2. We are desirous of being registered as an “aggregator under National Pension System -Swavalamban” for providing specified services to the potential National Pension System-Swavalamban subscribers belonging to <Organization Name>. We hereby agree to perform activities specified in the “Operating Guidelines for aggregator” and other associated rules/guidelines specified by the Authority from time to time.

3. We confirm that we have understood and agree to abide unconditionally by all the requirements as set out in “Pension Fund Regulatory & Development Authority (aggregator) Regulations, 2015”.

4. Further, we also undertake to sign separate agreement(s) with other intermediaries or any other person in the format specified by the Authority, if required.

5. Necessary details with supporting documents are attached with this letter in the specified format for consideration of our request.

6. I/we understand that the Authority reserves the right to accept or reject our application.

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to sign this letter as well as other such letters/documents which may be required for registration.

Dated this Day of 20__

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____ Duly authorized to sign the Consent
letter for and on behalf of:

(Name and Address of Organization)

(Seal/Stamp of Organization)

Aggregator Compliance Sheet for Government or Government Sponsored Agencies

Name of the entity	
Status of entity (please tick) Ref: sub-regulation (2) of regulation 3	Department of Central Government ☐ Department of State Government ☐ Central Government Autonomous Bodies ☐ State Government Autonomous Bodies ☐ Others, if any (pls. Specify).....
Registered address	

Existing customer base and Services rendered		Details in Annexure 1 is provided Yes No
Commercial Undertaking Ref: regulation 13	Entity is entitled for receiving remuneration as specified by the Authority	Commercial undertaking in Annexure 2 is provided Yes No

Dated this Day of 20__

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____ Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization)

(Seal/Stamp of Organization) **Annexure 1: Details of beneficiary groups and Services Rendered**

An entity shall provide details covering:

Types of services provided to existing groups

Details of potential subscribers/ target groups for National Pension System-Swavalamban

National Pension System-Swavalamban subscriber base projections for next five years

Year 1:

Year 2:

Year 3:

Year 4:

Year 5:

Annexure 2: Commercial Undertaking

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our organization and empowered to provide this undertaking that my institution, if registered as an aggregator under National Pension System-Swavalamban by the Authority, the (entity) shall not charge any fees/service charge from subscribers for providing National Pension System -Swavalamban services.

We also confirm that we would only receive fixed sum towards these services, as specified by the Authority in the Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations, 2015”.

This commitment is valid for the entire duration of the registration period and any extension granted thereto.

1Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 53

I/We commit to provide information regarding services provided by my/our organization at such intervals as may be specified by Authority from time to time.

Dated this Day of 20__

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____ Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization)

(Seal/Stamp of Organization)

SCHEDULE II

FORM B

Pension Fund Regulatory and Development

Authority (aggregator) Regulations, 2015

[See regulation 4(1)&(2)]

Application form for grant of certificate of registration

for Non-Government entities

APPLICATION

**FOR REGISTRATION AS “AGGREGATOR” UNDER NATIONAL PENSION SYSTEM (NPS)
SWAVALAMBAN**

FOR MEMBERS OF <ORGANIZATION NAME>

Table of Contents

Covering Letter

Aggregator Compliance Sheet

Annexure 1: Details of Customer Base and Services Rendered

Annexure 2: Legal Undertaking

Annexure 3:: Commercial Undertaking

Annexure 4: Format for providing Governance Structure

Annexure 5: Technical & Manpower Capacity Undertaking

Annexure 6: Business Plan for National Pension System-Swavalamban

Annexure 7: Format for seeking exemption/relaxation of any eligibility criteria

Covering Letter

(to be provided on company/official letter head)

Date DDth Month, YYYY To

XYZ

Executive Director

Pension Fund Regulatory Development Authority

1st Floor, ICADR Building, Plot No 6

Vasant Kunj Institutional Area

Phase-II, New Delhi-110070

Sub:-Application for Registration as aggregator under National Pension System-Swavalamban

for members of <Organization Name>

Dear Sir/Madam,

I/we, the undersigned, have examined and familiarised myself/ourselves with “Pension Fund Regulatory & Development Authority (Aggregator) Regulations, 2015” and “Operating Guidelines for Aggregators” specified by the Authority

2. I/We are desirous of being enlisted as an “aggregator under National Pension System-Swavalamban”

for providing specified services to the potential National Pension System-Swavalamban subscribers belonging to <Organization Name>. We hereby agree to perform activities specified in “Operating Guidelines for Aggregator” and other associated rules/guidelines specified by Authority from time to time.

3. I/We confirm that we have understood and agree to abide unconditionally by all the requirements as set out in “Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations, 2015.

4. Further, we also undertake to sign separate agreement(s) with other intermediaries or any other person in the format specified by the Authority, as specified by the Authority.

5. Necessary details with supporting documents are attached with this letter in specified format for consideration of our request.

6. I/we understand that the Authority reserves the right to accept or reject our proposal without assigning any reason thereof.

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to sign this letter as well as other such letters/documents which may be required for registration.

Dated this Day of 20__

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____

Duly authorized to sign the Consent letter for and on behalf of:

(Name and Address of Organization) (Seal/Stamp of Organization)

II. Aggregator Compliance Sheet

Name of the Entity		
Entity is Registered with (please tick) Ref: sub-regulation (2) of regulation 3	Societies Registration Act 1860 (or a State amendment of this Act) ☐ Indian Trusts Act, 1882 Charitable and Religious Trusts Act, 1920 ☐ Banking Regulations Act, 1941 ☐ Companies Act, 1956 (section 25, for not for profit companies) Companies Act 1956 with necessary certification from RBI (for NBFCs) Companies Act, 1956, for any other company	Attested copy of such certificate is provided Yes ☐ No

	Entities created by State/Central Govt. for any specified group of Beneficiaries. Entities regulated by NHB.	
--	--	--

¹Hkkx IIIμ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 55

	Others, if any (pls. specify)	
Registered Address		
Entity Background	Dominant promoter group details covering share holding patterns	Organization Brief provided (on a separate sheet) Yes No
Entity is in business of financial services Ref: sub-regulation (4) of regulation 3	As on date of application, Less than 5 Years 5 to 10 Years More than 10 Years	Balance Sheet of last 3 years provided Yes No
Entity has net-worth of Ref: sub-regulation (7) of regulation 3	As on date of application Rs. 50 Lakh and above Equal to or more than Rs. 1 Crore	Net-worth Certificate from Chartered Accountant is provided Yes No
Existing customer base and Services Rendered		Statement in Annexure 1 is provided Yes No

Entity financial status Ref: sub-regulation (4) of regulation 3	Whether entity has incurred losses in at least 3 years of the past five years. Yes No Please specify number of years in which the entity has incurred loss during previous five years,	
Legal Undertaking Ref: sub-regulation (11) of regulation 3	Absence of convictions and restraint orders by any financial sector regulator or by the court of the law in any of the preceding 5 years.	Declaration in Annexure 2 is provided Yes No
Commercial Undertaking Ref: regulation 13	Entity is entitled for receiving remuneration as specified by the Authority	Commercial undertaking in Annexure 3 is provided Yes No
Governance Structure Ref: sub-regulation (5) of	Entity shall have formal governance structure (Board, Managing Committee or equivalent) with members having adequate experience in financial services / social	Details in Annexure 4 is provided
regulation 3	development and adequate capacity to handle financial activities.	Yes No
Technical & Manpower Capacity Ref: sub-regulation (8)& (9) of regulation 3	Entity shall have adequate technical infrastructure to perform National Pension System activities and shall have sufficient trained staff with sufficient capability	Undertaking in Annexure 5 is provided Yes No

Business plan Ref: sub-regulation (12) of regulation 3	Entity shall submit an business plan , Annexure 6 is provided Yes No
Seeking exemption/relaxation of any eligibility criteria Ref: sub-regulation (13) of regulation 3	If entity is seeking relaxation in Eligibility criteria, Annexure 7 is provided Yes No

Dated this Day of 20__

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____

Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization) (Seal/Stamp of Organization)

Annexure 1: Details of Customer Base and Services Rendered

Existing Customer Count across all Services (as on date of application) which would be covered under National Pension System–Swavalamban	
Types of Services Rendered to existing customer base	Financial Non Financial Both Financial & Non Financial
List of Services Provided	(pls. use additional sheets if necessary)
Five year projections for Customer base(for its core business) and targets for National Pension System- Swavalamban coverage	Core business National Pension System coverage Year 1: Year 2: Year 3: Year 4 Year 5
Data demonstrating cash handling capacity	Please furnish details to demonstrate existing capability and proposed capacity building(if any) to undertake National Pension System - Swavalamban work
Any other details demonstrating customer/cash handling capacities	

Dated this Day of 20__

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____

Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization) **Annexure 2: Legal Undertaking**

(Seal/Stamp of Organization)

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to provide this undertaking that,

(i) No penalties have been imposed on our organization/its promoters/directors and no major strictures have been passed by any court of law or by any regulatory body/disciplining authority during the last five years

Dated this Day of 20__

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____ Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization) (Seal/Stamp of Organization)

Annexure 3: Commercial Undertaking

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to provide this undertaking that our institution, if registered as an Aggregator under National Pension System-Swavalamban by the Authority, shall not charge any fees/service charge from subscribers for providing National Pension System-Swavalamban services.

We also confirm that we would only receive fixed sum towards these services, as specified by the Authority in these regulations for Aggregators under National Pension System -Swavalamban.

This commitment is valid for the entire duration of the registration period and any extension granted thereto. I/We commit to provide information regarding services provided by my/our institution at such intervals as may be specified by the Authority from time to time.

Dated this Day of 20__

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____

Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization) (Seal/Stamp of Organization)

Annexure 4: Format for providing Governance Structure

An entity shall provide details of its Governance structure covering:

- 1.Board structure
- 2.List of Independent directors (if mandated under the relevant statute governing the entity.)
- 3.Monitoring mechanism
- 4.Cash handling/monitoring mechanism
- 5.Mechanism for detection/control of frauds etc.

6.Customer grievance redressal process

7.Any other relevant matter

Annexure 5: Technical & Manpower Capacity Undertaking

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to provide this undertaking that my/our institution, is having necessary technical & manpower capacity for providing National Pension System-Swavalamban services.

We have in every branch, adequate IT Infrastructure for accessing the central recordkeeping agency system. We also have necessary infrastructure and capability to demonstrate and electronically transmit National Pension System subscriber contribution and information as per specified timelines. We also have capability to establish necessary back office systems, procedures and software for receiving transaction requests and upload into the central recordkeeping agency system, issuing of acknowledgment etc. as laid down in operating guidelines.

I/We undertake to facilitate inspection/due diligence by officer authorised by the Authority as specified by the Authority from time to time.

We also declare that all individuals assigned on National Pension System related activities have necessary capability and would be trained on all operational issues to ensure proper discharge of National Pension System related responsibilities before their deployment

Dated this Day of 20__

(Signature)_____

Name: _____ (In the capacity of)_____ Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization) (Seal/Stamp of Organization)

Annexure 6: Business Plan for National Pension System-Swavalamban

Objective	Description
Target groups	
Promotion Strategy	
Distribution Strategy (Convergence of existing Business and National Pension System- Swavalamban)	
Persistency Maintenance Strategy	
Special activities, if any, that would be undertaken to promote National Pension System–Swavalamban across various target groups/geographical areas	
Any other note	

Dated this Day of 20__

(Signature)_____

Name: _____ (In the capacity of)_____ Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of: (Name and Address of Organization)

(Seal/Stamp of Organization)

'Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 59

Annexure-7: Format for seeking exemption/relaxation of any eligibility criteria

S.No	Reference in Regulation (Clause No. & Page No.)	Extent of Deviation	Brief Reason
1.			

Dated this Day of 20__

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____

Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization)

(Seal/Stamp of Organization)

SCHEDULE III

Pension Fund Regulatory and Development

Authority (aggregator) Regulations, 2015

[See regulation 5]

Fees payable to the Pension Fund Regulatory and Development Authority by the aggregator

Application Fee of rupee ten thousand only in the form of DD drawn in favour of “The Pension Fund Regulatory and Development Authority” and payable at New Delhi shall be submitted along with the Application

It is hereby confirmed that I/we are submitting rupee ten thousand only in the form of DD drawn in favour of “The Pension Fund Regulatory and Development Authority” and payable at New Delhi

Name of The Organization	DD No	DD date	Bank Name	Amount

I/we understand that the amount paid towards application fee is non-refundable

Dated this Day of 20__

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____ Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization)

(Seal/Stamp of Organization)

SCHEDULE IV

Pension Fund Regulatory and Development

Authority (aggregator) Regulations, 2015

[See regulation 9 (1)]

REG. No. _____

Certification of registration as an aggregator for National Pension System- Swavalamban.

1. In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby grants this certificate of registration and commencement of business to M/s. (name of the entity), as an aggregator under the National Pension System.

2. The registration code for the aggregator is _____.

3. This registration shall be valid subject to conditions specified in the certificate of registration under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations, 2015.

Date: _____

Place: New Delhi

By Order

For and on behalf of the PFRDA

Authorised Signatory

SCHEDULE V

[See regulation 10(2)&(3)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (

FORM C)

RENEWAL FORM

UNDER NATIONAL PENSION SYSTEM - SWAVALAMBAN FOR MEMBERS OF <ORGANIZATION NAME>

Table of Contents

Covering Letter

Aggregator Compliance Sheet

Annexure 1: Legal Undertaking

Annexure 2: Security deposit Undertaking

Annexure 3: National Pension System-Swavalamban Performance

'Hkx IIIµ[k.M 4° Hkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 61

Covering letter

(to be provided on company/official letter head)

Date DDth Month, YYYY To

XYZ

Executive Director

Pension Fund Regulatory Development Authority

1st Floor, ICADR Building, Plot No. 6

Vasant Kunj Institutional Area
Phase-II, New Delhi-110070

Sub:-Renewal of Registration as Aggregator under National Pension System-

Swavalamban for members of <Organization Name>

Dear Sir/Madam,

2. I/We are desirous to continue our registration as an Aggregator under “National Pension System-Swavalamban” for providing prescribed services as specified under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations-2015, operational guidelines and other associated rules, guidelines/instructions issued by the Authority.

5. Necessary details with supporting documents, including prescribed fee, are attached with this letter in specified format for consideration of our request.

6. I/we understand that the Authority reserves the right to accept or reject our request .

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to sign this letter as well as other such letters/documents which may be required for registration.

Dated this Day of 20

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____

Duly authorized to sign the Consent letter for and on behalf of:

(Name and Address of Organization)

(Seal/Stamp of Organization) **Aggregator Compliance Sheet**

Name of the entity		
Entity has net-worth of Ref: sub-regulation (7) of regulation 3	As on date of application for renewal Rs 50 Lakh and above Equal to or more than Rs 1 Crore	Net-worth Certificate from Chartered Accountant is provided Yes No
Entity financial status Ref: sub-regulation (4) of regulation 3	Whether entity has incurred losses in at least 3 years of the past five years Yes No	

	Number of years for which loss was incurred to be indicated	
Legal Undertaking Ref: sub-regulation (11) of regulation 3	Absence of convictions and restraint orders by any financial sector regulator or by the court of the law in any of the preceding 5 years.	Declaration in Annexure 1 is provided

		Yes No
security deposit in the form of bank guarantee/ fixed deposit/ Demand draft from any scheduled commercial bank in the favour of Pension Fund Regulatory and Development Authority		Undertaking in Annexure 2 is provided Yes No
Performance for last 5 years and projected targets for next 3 years		Statement in Annexure 3 is provided Yes No

Dated this Day of 20

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____

Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization) **Annexure 1: Legal Undertaking**

(Seal/Stamp of Organization)

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to provide this undertaking that no penalties have been imposed on our organisation/its promoters/directors and no major strictures have been passed by any court of law or by any regulatory body/disciplining authority during the last five years.

Dated this Day of 20

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____

Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization)

(Seal/Stamp of Organization)

'Hkkx IIIµ[k.M 4° Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 63

Annexure 2: Security deposit Undertaking

It is hereby confirmed that I/we are entitled to act on behalf of our corporation/company/firm/organization and empowered to provide this undertaking that my/our institution, will submit a security deposit in the form of a fixed deposit, demand draft or a bank guarantee from any scheduled commercial bank at the time of renewal of the security deposit. I/We undertake to submit a fresh security deposit (if not submitted earlier) w.e.f. date of renewal as an Aggregator or the security deposit already submitted will remain valid for the period, after which fresh security deposit will be submitted to the Authority.

Dated this Day of 20

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____

Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization) (Seal/Stamp of Organization)

Annexure 3: National Pension System-Swavalamban Performance

Performance for last five years Targets v/s achievement	Target Achievement Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Persistency for last 5 years	
Next five years projections for National Pension System - Swavalamban	Core business National Pension System- Swavalamban coverage Year 1: Year 2: Year 3: Year 4 Year 5

Dated this Day of 20

(Signature)_____

Name:_____ (In the capacity of)_____

Duly authorized to sign this undertaking for and on behalf of:

(Name and Address of Organization)

(Seal/Stamp of Organization)

SCHEDULE VI

**Pension Fund Regulatory and Development
Authority (aggregator) Regulations, 2015
[See regulation 20(16)]**

Disclosure of personal information by Aggregator

1. Personal information means and includes any information that relates to a subscriber or allows a subscriber's identity to be inferred, directly or indirectly, and includes:

- a. name and contact information;
- b. biometric information, in case of individuals;
- c. information relating to transactions in, or holdings of, financial products;
- d. information relating to the use of financial services; or
- e. such other information as may be specified by regulations.

2. An Aggregator shall—

- (a) not collect personal information relating to a subscriber in excess of what is required for the provision of a National Pension System ;
- (b) maintain the confidentiality of personal information and information relating to any transaction under National Pension System relating to subscribers
- (c) make best efforts to ensure that any personal information relating to a subscriber that it holds is accurate, up to date and complete;
- (d) ensure that subscribers can obtain reasonable access to their personal information, subject to any exceptions that the Pension Fund Regulatory and Development Authority may specify; and
- (e) allow subscribers an effective opportunity to seek modifications to their personal information to ensure that the personal information held by the Aggregator is accurate, up to date and complete.

3. A financial service provider may disclose personal information relating to a subscriber to a third party only if—

- (a) it has obtained prior written informed consent of the subscriber for the disclosure, after giving the subscriber an effective opportunity to refuse consent;
- (b) the subscriber has directed the disclosure to be made;
- (c) the PFRDA has approved or ordered the disclosure, and unless prohibited by the relevant law or regulations, the subscriber is given an opportunity to represent under such law or regulations against such disclosure;
- (d) the disclosure is required under any law or regulations, and unless prohibited by such law or regulations, the subscriber is given an opportunity to represent under such law or regulations against such disclosure.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.